1

गोपनीय

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक प04(85)वित्त/आब/03

जयपुर, दिनांक 6 जनवरी, 2004

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राजस्थान,
उदयपुर ।

विषय : वर्ष 2004-2005 हेतु आबकारी एवं मद्य-संयम (**temperance**) नीति का निर्धारण

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-2005 हेतु आबकारी एवं मद्य-संयम (temperance) नीति निर्धारित कर दी है जो निम्नानुसार है :-

1. <u>अवधि :</u> आगामी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष (1.4.2004 से 31.3.2005) होगी ।
2. <u>एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली :</u> राज्य सरकार ने वर्ष 2004-2005 के लिए आबकारी बन्दोबस्त एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत करवाने का निर्णय लिया है ।
3. <u>निविदा :</u> वर्ष 2003-2004 की भांति वर्ष 2004-2005 का बन्दोबस्त भी मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित कर सम्पादित करवाया जाये ।
4. <u>मदिरा समूहों की संख्या :</u> वर्ष 2003-2004 के आबकारी बन्दोबस्त हेतु जिन 25 मदिरा समूहों का गठन किया गया था उसी अनुसार 25 समूहों का गठन कर वर्ष 2004-2005 का आबकारी बन्दोबस्त सम्पादित करवाया जाये ।

मदिरा समूहों की आरक्षित राशि का निर्धारण : वर्ष 2004-2005 हेतु मदिरा दुकानात की आरक्षित राशि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :-

(अ) देशी मदिरा : वर्ष 2003-2004 में देशी मदिरा की प्राप्त राशि।

(ब) भा0नि0वि0म0 : वर्ष 2003-2004 में भा0नि0वि0 मदिरा की प्राप्त राशि + इसकी 10 प्रतिशत राशि ।

(स) बीयर : वर्ष 2003-2004 की बीयर में प्राप्त राशि + इसकी 20 प्रतिशत राशि ।

वर्ष 2003-2004 के दौरान अनुज्ञाधारियों द्वारा देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के मध्य यदि कोई एकाकी विशेषाधिकार राशि स्थानान्तरित की गई थी तो इस स्थानान्तरण के पश्चात आकलित की गई राशि वर्ष 2003-2004 की प्राप्त राशि कहलायेगी । ऐसे मदिरा समूह जो एक बार उठ गये परन्तु बाद में उनकी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र निरस्त करने पडे, इन समूहो में जिस राशि पर जितनी अवधि के लिए वास्तव में ठेके का संचालन वर्ष 2003-2004 के दौरान हुआ उसे प्राप्त राशि मानी जावे।

मदिरा समूहों की वर्ष 2004-05 के लिए संलग्नक में प्रस्तावित की गई आरक्षित राशि में रूपये 25.00 करोड की राशि और जोडकर आरक्षित राशि निर्धारित की जावे ।

6. सत्यांकर राशि, धरोहर राशि एवं बैंक गारन्टी : मदिरा समूहों के सन्दर्भ में सत्यांकर राशि, धरोहर राशि एवं बैंक गारन्टी संबंधी प्रावधान वर्ष 2003-2004 के अनुरूप ही रहेंगें ।

7. एकाकी विशेषाधिकार राशि की वसूली :

(1) वसूली योग्य एकाकी विशेषाधिकार राशि का समतुल्य 12 मासिक किश्तों में भुगतान होगा । माह का आशय कलेण्डर माह से है ।

(2) अनुज्ञाधारी द्वारा चालू माह के अन्त तक मदिरा उठाकर उस माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति की जा सकेगी । चालू माह के अन्त तक मदिरा उठाकर वसूली योग्य एकाकी विशेषाधिकार राशि पूर्ति करने के पश्चात शेष रही बकाया राशि को आगामी माह की 7 तारीख तक बिना ब्याज जमा कराया जा सकेगा ।

(3) ऐसे अनुज्ञाधारी जो 17 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करवायेंगें उनकी जमा धरोहर राशि को माह फरवरी एवं मार्च की किश्तों के पेटे समायोजित कर दिया जायेगा तथा शेष रही राशि को वर्ष के अन्त में किसी प्रकार के बकाया नहीं होने के स्थिति में लौटाया जा सकेगा । ऐसे अनुज्ञाधारी जिन्होंने आंशिक धरोहर राशि बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की है, उन्हें माह फरवरी, 2005 में वसूली योग्य एकाकी विशेषाधिकार राशि के 8.33 प्रतिशत के समतुल्य राशि की मदिरा उठाकर अथवा नकद जमा कराकर आपूर्ति करनी होगी ।

8. <u>अतिरिक्त मदिरा दुकानों के संबंध में :</u> वर्ष 2003-2004 के दौरान स्वीकृत की गई अतिरिक्त दुकानें एवं उनसे प्राप्त राशि को क्रमशः संबंधित समूह की दुकानों की संख्या व आरक्षित राशि में जोड दिया जाये। इसके उपरान्त वर्ष 2004-2005 के दौरान अतिरिक्त दुकानें वर्ष 2003-2004 के लिए निर्धारित राशि पर स्वीकृत की जा सकेंगीं ।

9. <u>देशी मदिरा के संबंध में अन्य निर्णय :</u>

(1) वर्ष 2004-2005 में देशी मदिरा की पाउच में आपूर्ति किये जाने पर (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोडकर) पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा तथा देशी मदिरा की समस्त बोतलों पर होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था की जाये।

(2) अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा की मांग की 25 प्रतिशत की सीमा तक आपूर्ति निजी क्षेत्र से दी जा सकेंगीं । निजी क्षेत्र में देशी मदिरा के निर्माण की अनुमति देने के लिए डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट्स के लिए वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की राशि क्रमशः रू0 2.00 लाख एवं 1.00 लाख निर्धारित की जाती है । निजी क्षेत्र के देशी मदिरा उत्पादकों से थोक विक्रय अनुज्ञापत्र के लिए अनुज्ञा शुल्क रू0 0.50 लाख निर्धारित किया जाता है ।

(3) देशी मदिरा का निर्माण करने वाली निजी क्षेत्र की ऐसी इकाईयों से जो स्वयं के शोधित प्रासव से देशी मदिरा का निर्माण करेंगी, उन पर रूपये 2.00 प्रति बल्क लीटर की दर से फीस देय होगी।

(4) देशी मदिरा के निर्माण में निजी क्षेत्र को सहभागिता दिये जाने के फलस्वरूप निर्गम मूल्य के आधार पर अनुज्ञाधारी को एकाकी विशेषाधिकार राशि के प्रति दिये जाने वाली रिबेट (भराव) की व्यवस्था वर्ष 2004-05 में लागू नही रहेगी । अब देशी मदिरा पर आबकारी

शुल्क रूपये 60 प्रति प्रूफ लीटर लगाया जायेगा । अनुज्ञाधारी द्वारा देशी मदिरा पर भुगतान किये गये आबकारी शुल्क के बराबर राशि का एकाकीविशेषाधिकार राशि की मासिक किश्त पेटे रिबेट (भराव) दिया जायेगा ।

10. भा0नि0वि0म0/बीयर थोक : वर्ष 2004-2005 में प्रत्येक मदिरा समूह के अनुज्ञाधारी को भा0नि0वि0म0/बीयर थोक अनुज्ञापत्र लेना अनिवार्य होगा ।

इस अनुज्ञापत्र हेतु देय शुल्क की राशि को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

(राशि रूपये लाखों में)

क्रम संख्या	क्षेत्र	वर्तमान अनुज्ञा फीस	प्रस्तावित अनुज्ञा फीस
1	संभागीय मुख्यालय	17.00	20.00
2	अन्य जिला मुख्यालय	14.50	16.00
3	अन्य स्थान	11.50	13.00

11. वर्ष 2003-2004 के बन्दोबस्त की भांति वर्ष 2004-2005 के बन्दोबस्त में भी भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर भुगतान किये गये आबकारी शुल्क का एकाकी विशेषाधिकार राशि की मासिक किश्त के पेटे शत प्रतिशत रिबेट(भराव) दिया जायेगा ।

12. राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं राजस्थान राज्य होटल निगम द्वारा बीयर की खुदरा रिटेल ऑफ दुकानों का संचालन : राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवम् राजस्थान राज्य होटल निगम द्वारा बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों के संचालन की वर्तमान व्यवस्था वर्ष 2004-05 से समाप्त कर दी जावे ।

13. रेस्टोरेन्ट बार हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने का प्रावधान :

(1) आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2003-2004 में रेस्टोरेन्ट बार के लिए अनुज्ञापत्र दिये जाने का कोई प्रावधान नही था । प्रदेश में पर्यटकों के बढते आवागमन को मध्यनजर रखते हुये पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2004-2005 में अच्छे स्तर के रेस्टोरेन्ट्स में माइल्ड बीयर, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक लिकर के रिटेल आन खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञापत्र दिये जा सकेंगें ।

(2) अच्छे स्तर के रेस्टोरेन्ट का निर्धारण निम्न मानदंडों के आधार पर किया जायेगा :-

1. रेस्टोरेन्ट का वार्षिक न्यूनतम विक्रय (Turnover) रूपये 10.00 लाख होंना आवश्यक है ।
2. रेस्टोरेन्ट वातानूकूलित होगा ।
3. रेस्टोरेन्ट बार का न्यूनतम क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट होना चाहिये तथा इसमें कम से कम 40 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो ।
4. पुरूष एवं महिलाओं के लिए उपयुक्त शौचालय की सुविधा हो ।
5. रेस्टोरेन्ट अपने ग्राहकों को केवल माइल्ड बीयर (जिसमें एल्कोहल की मात्रा 8.75 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट तक हो) का ही विक्रय कर सकेगा ।
6. रेस्टोरेन्ट 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बीयर, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक लिकर का विक्रय नहीं कर सकेगा ।
7. केवल अच्छे स्तर के रेस्टोरेन्ट (जो उपर्युक्त मानदण्डों की पूर्ति करते हों) को ही बार अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जावेंगें। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित प्रक्रिया का पृथक से निर्धारण किया जावेगा ।

(3) रेस्टोरेन्ट बार के लिए अनुज्ञापत्र हेतु निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

(राशि रूपये लाखों में)

क्रम संख्या	स्थान	प्रस्तावित अनुज्ञा शुल्क
1	जयपुर	0.40
2	अन्य	0.30

(4) रेस्टोरेन्ट बार पर बेची जाने वाली बीयर, वाइन एवं रेडी टू ड्रिंक लिकर पर भुगतान किये गये आबकारी शुल्क का रिबेट (भराव) स्थानीय अनुज्ञाधारी को दिया जायेगा ।

14. होटल/क्लब बार के अनुज्ञापत्र शुल्क में संशोधन : वर्ष 2004-2005 हेतु होटल/क्लब बार के अनुज्ञा शुल्क की राशि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

(राशि रूपये लाखों में)

क्रम संख्या	श्रेणी	वर्तमान अनुज्ञा शुल्क की दर	वर्ष 2004-2005 हेतु अनुज्ञा शुल्क की दर
1	पांच सितारा होटल	7.50	5.00
2	चार सितारा होटल	5.50	4.00
2(अ)	तीन सितारा होटल	5.50	3.00
2(ब)	लग्जरी ट्रेन	5.50	2.50
3	हेरिटेज होटल ए	7.50	5.00
3(अ)	हेरिटेज होटल बी	2.25	1.50
3(ब)	हेरिटेज होटल सी	1.25	0.75
4	अन्य होटल एक लाख से अधिक आबादी वाले कस्बे, जैसलमेर व आबू पर्वत	2.25	1.50
4(अ)	अन्य स्थानों पर अवस्थित होटल	1.00	0.75
5	क्लब जयपुर में	0.50	0.40
5(अ)	क्लब अन्य स्थानों पर	0.50	0.30

15. समस्त प्रकार के बार अनुज्ञाधारियों को स्थानीय अनुज्ञाधारी के पास उपलब्ध मदिरा की ब्राण्ड्स उसी से क्रय करना आवश्यक होगा परन्तु अनुज्ञाधारी क्रय मूल्य (आबकारी शुल्क सहित) में अधिकतम 15 प्रतिशत मार्जिन लेकर बार अनुज्ञाधारियों को विक्रय कर सकेगा, इस आशय का प्रावधान अनुज्ञा पत्र शर्तों में कर दिया जाये ।

(7)

16. <u>ड्यूटी/शुल्क व फीस ढांचे में परिवर्तन :</u>

(1) भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर वर्तमान में निर्धारित आबकारी शुल्क की दर रू0 100/- प्रति प्रूफ लीटर के स्थान पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा की किस्म/कीमत के आधार पर आबकारी शुल्क की दर रू0 125/- से रू0 300/- प्रति प्रूफ लीटर के मध्य होगी । वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया निर्धारित की जानी है, इसलिये आबकारी आयुक्त इस संबंध में अपनी अनुशंषा शीघ्र प्रेषित करें।

(2) स्ट्रांग एवं माइल्ड बीयर पर आबकारी ड्यूटी जो वर्तमान में क्रमशः रूपये 15/- व 10/- प्रति बल्क लीटर है उसे संशोधित किया जाकर क्रमशः रूपये 20/- व 15/- प्रति बल्क लीटर किया जाता है ।

(3) एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली की परिधि से बाहर अनुज्ञाधारियों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर वर्तमान में अधिभार की प्रभावी दर क्रमशः रूपये <u>25/-</u> व <u>5/-</u> प्रति बल्क लीटर को संशोधित किया जाकर क्रमशः आबकारी ड्यूटी का 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत किया जाता है । अधिभार में प्रस्तावित वृद्धि सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली मदिरा व बीयर पर लागू नहीं होगी।

(4) देशी मदिरा के राज्य में परिवहन पर वर्तमान में प्रभावी परमिट फीस को रूपये <u>5/-</u> प्रति बल्क लीटर के स्थान पर रूपये <u>6/-</u> प्रति बल्क लीटर किया जाता है ।

(5) देशी मदिरा को राज्य से बाहर भेजने पर वर्तमान में प्रभावी परमिट फीस रूपये <u>6/-</u> प्रति बल्क लीटर के स्थान पर रूपये <u>2/-</u> प्रति बल्क लीटर किया जाता है ।

(6) एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के लिए वर्तमान में प्रभावी परमिट फीस की दर रूपये 0.50 प्रति बल्क लीटर के स्थान पर रूपये 1.00 प्रति बल्क लीटर किया जाता है।

(7) भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के निर्माता की स्वयं की ब्राण्ड्स की बोटलिंग पर वर्तमान में प्रभावी बोटलिंग फीस की दर क्रमशः रूपये 1.50 व 1.15 प्रति बल्क लीटर के स्थान पर रूपये 2.00 व रूपये 1.50 प्रति बल्क लीटर किया जाता है ।

(8) देशी मंदिरा के निर्माण पर निजी क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा रू0 2.00 प्रति बल्क लीटर एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा रू0 1.00 प्रति बल्क लीटर की दर से बोटलिंग फीस देय होगी।

(9) अनुज्ञा पत्र अवधि के दौरान बार अनुज्ञाधारी को अन्य बार अनुज्ञाधारी को स्टॉक हस्तान्तरण फीस का भुगतान किये जाने पर स्टॉक हस्तान्तरण की अनुमति दी जा सकेगी ।

(10) वाईन, एवं रेडी टू ड्रिंक लिकर के बंधित भंडागार के अनुज्ञापत्र शुल्क की वार्षिक राशि रूपये 5.00 लाख के स्थान पर रूपये 2.00 लाख निर्धारित की जाती है । बोटल्ड इन ओरिजिन के थोक विक्रय के अनुज्ञापत्र के लिए राशि रूपये 2.00 लाख निर्धारित की जाती है ।

(11) वाइन, रेडी टू ड्रिंक लीकर एवं बोटल्ड इन ओरिजिन पर वर्तमान में प्रभावी विशेष ब्राण्ड फीस रूपये 50,000/- प्रति ब्राण्ड को कम किया जाकर रूपये 10,000/- किया जाता है ।

17. भांग-डोडा पोस्त :

(1) वर्ष 2003-04 में राज्य की भांग डोडा पोस्त दुकानों के बन्दोबस्त हेतु जिन 39 समूहों का गठन किया गया था उसी अनुरूप 39 समूहों का गठन कर वर्ष 2004-05 हेतु भांग डोडा पोस्त दुकानों का बन्दोबस्त सम्पादित करवाया जाये ।

(2) भांग डोडा पोस्त दुकानों की वर्ष 2003-04 की प्राप्त राशि में 10 प्रतिशत राशि जोडकर वर्ष 2004-05 की आरक्षित राशि निर्धारित की जाये । वर्ष 2003-04 में किन्ही समूहों के निविदादाता यदि बैक आउट हो गये तो जिस वास्तिविक राशि पर वर्ष 2003-04 में उन समूहों का संचालन हुआ उसे उनकी वर्ष 2003-04 की प्राप्त राशि माना जायेगा । वर्ष 2003-04 में कुछ समय के लिए समूह पडत रहने पर उस अवधि के लिए वर्ष 2003-04 में न्यूनतम रही प्राप्त राशि उस अवधि के लिए आनुपातिक रूप से मानी जाये । आबकारी आयुक्त को भांग/डोडा पोस्त की दुकान मय आरक्षित राशि एक समूह से दूसरे समूह में स्थानान्तरित करने के लिए अधिकृत किया जाता है ।

(3) भांग डोडा पोस्त हेतु सत्यंकार राशि के प्रावधान गत वर्ष के अनुरूप ही रहेंगें । सफल निविदादाता को प्राप्त राशि की 33.33 प्रतिशत नकद राशि एवं प्राप्त राशि की 10 प्रतिशत बैंक गारन्टी सिक्युरिटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।

(4) विभाग द्वारा क्रय कर अनुज्ञाधारियों को भांग आपूर्ति करने की व्यवस्था वर्तमान में राज्य में उपलब्ध भांग का स्टाक समाप्त हो जाने के उपरान्त समाप्त कर दी जाये । भांग के खुदरा अनुज्ञाधारियों को रूपये 10000/- वार्षिक अनुज्ञा शुल्क लेकर भांग का थोक अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकेगा ।

(5) भांग अनुज्ञाधारी अपने थोक अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत राज्य के बाहर से भांग क्रय कर राज्य में ला सकेगा एवं इस पर उसे रूपये 10/- प्रति किलो की दर से परमिट फीस अदा करनी होगी ।

(6) डोडा पोस्त के राज्य मे परिवहन पर देय परमिट फीस रूपये 2/- प्रति किलोग्राम को बढाकर रूपये 4/- प्रति किलोग्राम किया जाता है ।

(7) डोडा पोस्त के बंधित भंडागार हेतु अनुज्ञा शुल्क रूपये 1.00 लाख के स्थान पर रूपये 2.00 लाख निर्धारित किया जाता है ।

(8) डोडा पोस्त अनुज्ञाधारियों द्वारा अफीम काश्तकारों से क्रय किये जाने वाले डोडा पोस्त का क्रय मूल्य रूपये 6/- प्रति किलो से बढाकर रूपये 12/- प्रति किलो निर्धारित किया जाता है ।

18. <u>जनजाति क्षेत्र :</u> राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में देशी मदिरा दुकानों का संचालन गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञाधारियों से करवाने की वर्तमान व्यवस्था वर्ष 2004-05 में भी यथावत जारी रहेगी ।

19. <u>अन्य बिन्दु :</u>

(1) राज्य के जयपुर एवं अलवर जिलों में नई डिस्टलरी/ब्रूवरी/बोटलिंग प्लांट की स्थापना पर लगा प्रतिबंध हटाये जाने का निर्णय लिया गया है ।

18

(2) आकेजनल लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को सीधे ब्रूवरी से ड्राफ्ट-बीयर उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(3) वार्षिक अनुज्ञा शुल्क से आशय वर्ष 2004-2005 या उसके किसी भाग से है । दूसरे शब्दों में, सम्पूर्ण वर्ष के लिए या वर्ष के कुछ माहों के लिए अनुज्ञाधारी को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क की पूर्ण राशि ही जमा करानी होगी ।

20. **शुष्क दिवस एवं मद्य संयम :**

(1) वर्तमान में निर्धारित 7 शुष्क दिवसों (यथा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हरिजन दिवस, महावीर जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयन्ती एवं गोकुलभाई भट्ट का जन्म दिवस, (महाशिवरात्रि))के स्थान पर शुष्क दिवसों की संख्या 3 (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं महात्मा गांधी जयन्ती) की जाती है ।

(2) मादक पदार्थों की बुराईयों की ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाये।

(3) मदिरा बेचान स्थलों के खुलने व बंद होने की समय की कठोरता से पालना करवायी जाये।

(4) मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

(5) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मदिरा को प्रतिबंधित करने संबंधी प्रावधान की पालना सख्ती से करवायी जाये।

(6) मदिरा के हर पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

21. आबकारी राजस्व का लक्ष्य वर्ष 2004-05 के लिए रूपये 1325.00 करोड निर्धारित किया गया है, जिसकी प्राप्ति आप द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।

11

22. आबकारी नीति के संबंध में शेष प्रावधान/प्रकिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रहेंगें ।

इस नीति को लागू करने के लिए कानून/नियमों/आदेशों आदि में जो संशोधन किया जाना अपेक्षित हो उनके लिए अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र भिजवाने का श्रम करें ।

आबकारी बन्दोबस्त दिनांक 29 फरवरी, 2004 तक पूर्ण करा सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की जाये ।

भवदीय,

6-1-2004

(पी.एल. अग्रवाल)
उप शासन सचिव
वित्त (आबकारी)विभाग

18

गोपनीय

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक : प.4(17)वित्त/आब/04 जयपुर, दिनांक : 12.02.2005

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

विषय : वर्ष 2005–2006 हेतु आबकारी एवं मद्य संयम (temperance) नीति का निर्धारण ।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–2006 हेतु आबकारी एवं मद्य संयम (temperance) नीति निर्धारित कर दी गई है जो निम्नानुसार है :–

1. प्रणाली : राज्य सरकार ने देशी मदिरा दुकानों का बंदोबस्त एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अंतर्गत एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर दुकानों का आवेदन आमंत्रित कर निश्चित लाईसेंस फीस पर व्यवस्थापन करने का निर्णय लिया है ।
2. अवधि : आगामी आबकारी बंदोबस्त की अवधि देशी मदिरा के लिए दो वर्ष (दिनांक 1.4.2005 से 31.3.2007) की होगी। प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन 8 प्रतिशत की डिस्काउन्ट दर पर, नेट प्रजेन्ट वैल्यु प्रणाली पर किया जायेगा । भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा अनुज्ञाधारियों को प्रथम वर्ष की समाप्ति पर पुनः द्वितीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर नवीनीकरण का विकल्प दिया जायेगा ।

3. बंदोबस्त प्रकिया : देशी मदिरा के ठेके पूर्ववत मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित कर तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर दुकानों के अनुज्ञापत्र प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर दिये जाने का निर्णय लिया गया है । यदि किसी भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर दुकान हेतु एक से अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होते है तो अनुज्ञापत्र हेतु सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाये। लॉटरी की प्रकिया के बारे में पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत कर राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

परन्तु उन गैर नगरपालिका कस्बों/गांवों में जहाँ पर जनसंख्या 50,000 तक है, वहां पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानों को लेने का प्रथम अधिकार उस समूह के देशी मदिरा के अनुज्ञाधारी को दिया जायेगा । इस हेतु देशी मदिरा की निविदायें आमंत्रित करते समय ही निविदादाता से ऐसी दुकानों को लेने का विकल्प मांग लिया जाये । उस अनुज्ञाधारी द्वारा ऐसी खुदरा दुकानों को नहीं लेने पर ऐसी भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानों का आवंटन प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर दिया जाये ।

देशी मदिरा

4. देशी मदिरा समूहों की संख्या : देशी मदिरा समूहों की संख्या 25 होगी क्योंकि जनजाति क्षेत्र में भी देशी मदिरा के विक्रय का कार्य निजी अनुज्ञाधारियों को देने का निर्णय लिया गया है ।

5. देशी मदिरा की आरक्षित राशि : वर्ष 2004-2005 व इससे पूर्व के छः वर्षों में देशी मदिरा समूहों की प्राप्त राशि एवं इन समूहों द्वारा उठायी गयी देशी मदिरा की मात्रा को आधार मानते हुए देशी मदिरा समूहों की लाईसेंस फीस (अथवा रेन्टल) की आरक्षित राशि निर्धारित कर ली जाये । राज्य सरकार ने देशी मदिरा के 25 समूहों हेतु कुल आरक्षित राशि रूपये 530.00 करोड रखने का निर्णय लिया है । जनजाति क्षेत्र जहाँ पर वर्तमान में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा देशी मदिरा बेची जा रही है, की आरक्षित राशि अलग से निकाल कर रू0 530 करोड में जोड दी जावे । देशी मदिरा पर भुगतान किये गये आबकारी शुल्क का निविदा में अंकित

राशि अर्थात् एकाकी विशेषाधिकार राशि के प्रति कोई रिबेट (शराब) देय नहीं होगा।

14

6. देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क : देशी मदिरा पर रू. 2/- प्रति बल्क लीटर की दर से आबकारी शुल्क आरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. देशी मदिरा दुकानों की संख्या : राज्य सरकार ने राज्य में देशी मदिरा दुकानों की संख्या 9000 करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य के जनजाति क्षेत्र में 40 देशी मदिरा दुकानों की संख्या को बढाकर 100 किये जाने तथा शेष दुकानें विभिन्न मदिरा समूहों हेतु वर्तमान में निर्धारित देशी मदिरा दुकानों के संख्या के अनुपात में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। 7000

8. देशी मदिरा पर परमिट फीस : देशी मदिरा पर वर्तमान में परमिट फीस रू. 8/- प्रति बल्क लीटर की दर से वसूल की जाती है जिसके स्थान पर रू.150/- प्रति परमिट (उस परमिट के जरिये परिवहन की जाने वाली मदिरा की मात्रा चाहे जितनी भी हो) की दर से परमिट फीस लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

9. देशी मदिरा की बोतल, अद्धे व पव्वे का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा। देशी मदिरा बनाने में इनपुट व अन्य लागतों की कीमतों में असामान्य वृद्धि होने पर अधिकतम खुदरा मूल्य बढाया जा सकेगा।

10. देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों के संदर्भ में सत्यांकर राशि, धरोहर राशि व बैंक गारण्टी के संबंध में प्रावधान वर्ष 2004-2005 के अनुरूप रखे जाये। कोलेटरल सिक्युरिटी के बारे में अलग से सूचित किया जायेगा।

11. देशी मदिरा की एकाकी विशेषाधिकार राशि का भुगतान मासिक किश्तों में करना होगा। किसी माह की किश्त का भुगतान उस माह के प्रथम तीन कार्यदिवसों में करना होगा। धरोहर राशि समायोजन वर्ष की अंतिम मासिक किश्तों पेटे किया जा सकेगा।

12. देशी मदिरा की आपूर्ति : देशी मदिरा अनुज्ञाधारी अपनी आपूर्ति देशी मदिरा के किसी भी निर्माता से लेने सकने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके फलस्वरूप

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को भी देशी मदिरा के निजी क्षेत्र के निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। देशी मदिरा की आपूर्ति पेट बोटल्स में भी की जा सकेगी।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर

13 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर रिटेल दुकानों की संख्या : वर्ष 2004–2005 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की मूल दुकानें 1053 थी जिसमें वृद्धि कर इसे 2000 किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त कम्पोजिट दुकानों में से अपेक्षाकृत काफी छोटी दुकानों को छोडने के पश्चात 2500 दुकानों को भी प्रस्तावित व्यवस्था में नई भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकान का स्वरूप दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों की कुल संख्या 4500 होगी।

14 इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालयों, माउण्ट आबू, जैसलमेर व अलवर शहर में उक्तानुसार निर्धारित होने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर दुकानों की संख्या की 10 प्रतिशत तक ऐसी दुकानों की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है जिन पर केवल पिंट बीयर व रेडी टू ड्रिंक मदिरा की ही बिक्री की जा सकेगी । इस प्रकार के अनुज्ञापत्र हेतु वही दुकानें पात्र होंगी जो food items / beverages का विक्रय करती हो तथा गत वर्ष में जिनका वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रू. 10 लाख रहा हो । राज्य सरकार यदि चाहे तो भविष्य में इस प्रकार की दुकानों की अनुमति अन्य जिला मुख्यालयों हेतु भी दे सकेगी।

15 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकानों हेतु कोई न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (minimum guarantee quantity) नहीं होगी।

16 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानों के आवेदन आमंत्रित किये जाने से पूर्व बडे शहरों व कस्बों के लिए दुकानों की लोकेशन निर्धारित कर ली जाये।

17. भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान की लाईसेंस फीस : शहर / गांव जहां पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर दुकान स्थापित होनी है उसकी 2001 की जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	शहर का विवरण	राशि लाख रूपये में
1	जयपुर एवं जोधपुर	3.00
2	अन्य संभागीय मुख्यालय	2.50
3	अन्य जिला मुख्यालय	2.00
4	उक्त के अलावा शेष समस्त नगरपालिकाएं एवं 50000 से अधिक आबादी वाले कस्बे / गांव	1.50
5	गांव / कस्बे जिनकी आबादी 25000 से 50000 तक हो	0.50
6	शेष गांव	0.25

किसी नगरपालिका अथवा नगर निगम सीमा (जयपुर, जोधपुर के बारे में यह सीमा अलग से सूचित की जा रही है) से 2.5 किलोमीटर की दूरी में यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई दुकान अवस्थित होती है तो उससे लगते नगर पालिका / नगर निगम क्षेत्र में दुकान हेतु अनुज्ञाशुल्क की जो दर प्रभावी है वह दर ऐसी ग्रामीण दुकान हेतु लागू होगी।

18 भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क : राज्य सरकार ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर स्लेब्स में रू. 150 प्रति प्रूफ लीटर से अधिकतम रू. 600 प्रति प्रूफ लीटर के मध्य आबकारी शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया है। आबकारी शुल्क निर्माता द्वारा घोषित विक्रय मूल्य पर आधारित होगा ।

19. बीयर पर आबकारी शुल्क : बीयर पर 140 प्रतिशत ad-valorem (मूल्यानुसार) आबकारी शुल्क लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

20. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर परमिट फीस की वर्तमान दर रुपये 4 प्रति बल्क लीटर यथावत रखी जाती है।

21. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के खुदरा विक्रय की प्रस्तावित व्यवस्था की सफलता के लिए यह अपेक्षित है कि इसकी आपूर्ति के प्रथम बिंदु पर भी समुचित नियंत्रण रखा जाये। अतः निर्माताओं से भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थापित अपने डिपो में लाकर उसका निजी थोक अनुज्ञाधारियों को विक्रय करने के लिए एक निगम के गठन का निर्णय लिया गया है।

22. राज्य में विक्रय होने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर होलोग्राम / पहचान पर्ची जिस पर क्रम संख्या अंकित हो, लगाये जाने की व्यवस्था की जाये।

23. भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की निगम से आपूर्ति लेकर खुदरा अनुज्ञाधारियों को विक्रय कर सकने हेतु थोक अनुज्ञापत्र का प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है। थोक अनुज्ञाधारियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी तथा नियमों के अंतर्गत पात्र कोई भी व्यक्ति आवेदन कर यह अनुज्ञापत्र ले सकेगा । भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के थोक अनुज्ञापत्र हेतु वार्षिक लाईसेंस फीस का निम्नानुसार निर्धारण की जाती है:—

क.सं.	थोक अनुज्ञापत्र की अवस्थिति	लाईसेंस फीस की राशि (लाख रू. में)
1	जयपुर एवं जोधपुर	8.00
2	अन्य संभागीय मुख्यालय	6.00
3	अन्य स्थान	5.00

यदि किसी जिले में उपयुक्त संख्या में थोक अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो निगम द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर थोक का संचालन किया जा सकेगा।

24. निगम, थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारियों को क्रमशः 2%, 5% व 20% का अधिकतम मार्जिन देय होगा।

भांग डोडा पोस्त

25. वर्ष 2004–2005 में राज्य की भांग डोडा पोस्त दुकानों के बंदोबस्त हेतु जिन 39 समूहों का गठन किया गया था उसी अनुरूप वर्ष 2005–2006 का बंदोबस्त 39 समूहों में करवाया जाये।

26. आरक्षित राशि का निर्धारण : भांग डोडा पोस्त दुकानों की वर्ष 2004–2005 की प्राप्त राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2005–2006 के लिए आरक्षित राशि इस शर्त के साथ निर्धारित की जाये कि किसी भी समूह की वर्ष 2005–2006 की आरक्षित राशि उस समूह की वर्ष 2004–2005 की आरक्षित राशि के 125 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

होटल / रेस्टोरेन्ट बार / पब

27 अनुज्ञाशुल्क : होटलों के अनुज्ञा शुल्क के बारे में अलग से आदेश जारी किये जा रहे है ।

28. रेस्टोरेन्ट बार / पब हेतु अनुज्ञाशुल्क में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

(राशि लाख रूपये में)

क.सं.	शहर	वर्ष 2004–2005 में अनुज्ञाशुल्क	वर्ष 2005–2006 हेतु प्रस्तावित
1	जयपुर	0.40	जिस स्थान पर रेस्टोरेन्ट स्थित है उस स्थान के लिए भा.नि.वि.म. / बीयर खुदरा दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक लाईसेंस फीस की 2/3 राशि जो कि रू. 50000/– से कम नहीं होगी ।
2	अन्य	0.30	

29. अच्छे स्तर के होटल एवं रेस्टोरेन्ट्स को ही बार अनुज्ञापत्र मिल सकें इस हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित किये जाते है :-

(अ) होटल बार अनुज्ञापत्र हेतु जयपुर नगर में स्थित होटलों में न्यूनतम 20 कमरें व अन्य स्थानों पर स्थित होटलों में न्यूनतम 15 कमरें होने चाहिए। यह प्रतिबंध हेरिटेज होटलों के संदर्भ में लागू नहीं होगा।

(ब) रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र हेतु पात्र रेस्टोरेन्ट के न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर रू. 10.00 लाख निर्धारित किया हुआ है । इसमें से टेकोवल टर्नओवर न्यूनतम रू. 5.00 लाख होना चाहिए ।

(स) नये रेस्टोरेन्ट बार व पब के अनुज्ञापन के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जा रहें हैं ।

<u>अन्य बिंदु</u>

30. आवेदन शुल्क : भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर रिटेल एवं थोक दुकानों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

भा.नि.वि.म. / बीयर रिटेल : वार्षिक लाईसेंस फीस की 2 प्रतिशत राशि

भा.नि.वि.म. / बीयर थोक : रू. 10000/-

आवेदन शुल्क की राशि non-refundable होगी।

31. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर खुदरा व थोक दुकानों हेतु सत्यांकर राशि वार्षिक लाईसेंस फीस की 10% राशि होगी । यह राशि आवेदन के साथ ही जमा करानी होगी । भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के खुदरा व थोक अनुज्ञाधारियों को वार्षिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार अवधि में जमा करानी होगी :-

अ. भा.नि.वि.म /बीयर खुदरा : 10% सत्यांकर राशि के समायोजन के बाद अनुज्ञाशुल्क की 40% राशि लॉटरी की दिनांक से तीन दिन में

। शेष 50 प्रतिशत राशि 10 दिन में अथवा दुकान संचालन से पूर्व, जो भी पहले हो ।

व. भा.नि.वि.म /बीयर थोक : अनुज्ञाशुल्क की जो 10 % राशि आवेदन के साथ संलग्न की गई है उसके अलावा शेष 90 % राशि स्वीकृति जारी होने के 10 दिन में अथवा थोक के संचालन से पूर्व, जो भी पहले हो।

32. भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्माताओं से क्रय कर थोक अनुज्ञाधारियों को विक्रय करने हेतु जिस निगम का गठन प्रस्तावित है उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से प्रिवीलेज फीस वसूल की जायेगी।

33. परिवर्तित व्यवस्था में समस्त प्रकार के रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर के थोक अनुज्ञाधारियों से सीधे मदिरा का क्रय कर सकेंगे।

34. देशी मदिरा की क्वालिटी में सुधार हेतु इसके निर्माण में ई.एन.ए. (extra neutral alcohol) की ब्लेंडिंग को प्रोत्साहित किया जाये । ई.एन.ए. की ब्लेंडिंग कर निर्मित की गई देशी मदिरा हेतु संबंधित अनुज्ञाधारी के आवेदन पर आबकारी आयुक्त उंचा अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकेंगें।

35 राज्य में बेची जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा अच्छी गुणवत्ता की हो, इस उद्देश्य से ई.एन.ए. से निर्मित होने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा के विक्रय की ही अनुमति दी जाये, अर्थात् शोधित प्रासव से बनायी गयी भारत निर्मित विदेशी मदिरा राज्य में नहीं बेची जा सकेगी।

36. वर्तमान में परमिट फीस रिटेल अनुज्ञाधारियों से ही वसूल की जाती है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के थोक अनुज्ञाधारियों से भी अब रु. 0.25 प्रति बल्क लीटर की दर से परमिट फीस वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

37. शुष्क दिवस एवं मद्य–संयम :

1. वर्ष 2004–2005 की भांति वर्ष 2005–2006 में शुष्क दिवसों की संख्या 3 (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं महात्मा गांधी जयन्ती) रहेगी।
2. मादक पदार्थों की बुराईयों की ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाये।
3. मदिरा बेचान स्थलो के खुलने व बंद होने की समय की कठोरता से पालना करवायी जाये।
4. मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।
5. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मदिरा को प्रतिबंधित करने संबंधी प्रावधान की पालना सख्ती से करवायी जाये।
6. मदिरा के हर पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी 'मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आबकारी नीति के संबंध में शेष प्रावधान / प्रक्रिया / व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रहेंगे। परन्तु कुछ फीस एवं चार्जेज के बारे में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

इस नीति को लागू करने के लिए कानून / नियमों / आदेशों आदि में जो संशोधन किया जाना अपेक्षित हो उनके लिए अधिसूचनाओं / आदेशों के प्रारूप शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

आबकारी बंदोबस्त यथासंभव दिनांक 20 मार्च 2005 तक पूर्ण करा सूचना राज्य सरकार को प्रेषित करें।

भवदीय,

(खेमराज)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग

Government of Rajasthan
Finance (Revenue) Department

No. F4(17)FD/Excise/04-Pt. Jaipur, Dated : 25.2.2005

Commissioner,
Excise Department,
Rajasthan, Udaipur.

Sub:-Provision for Grant of wholesale trade and retail-off licenses for sale of IMFL/Beer.

Sir,

I am directed to say that for Excise settlement for the year 2005-06 it has been decided to give retail-off licenses for sale of IMFL and Beer on shop basis. It has also been decided to give license for whole sale of IMFL and Beer. The first NIT may be issued in this regard by Excise Commissioner at least 10 days before the date fixed in the notice for the receipt of tenders for retail and wholesale license of IMFL/Beer.

If sufficient application are not received within this period then Excise Commissioner has been authorized to invite further applications through tender notice on first-come-first license basis. A general notice can be issued by Excise Commissioner for this purpose.

Yours faithfully,

(Khemraj)
Secretary, Finance (Revenue)

आ०प०नी०

(24)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक : प04(17)वित्त/आब/2004

जयपुर, दिनांक : 25.2.2005

आयुक्त,
आबकारी विभाग
राजस्थान
उदयपुर।

विषय : वर्ष 2005–06 की आबकारी एवं मद्य संयम नीति

महोदय,

इस विभाग के पत्र क्रमांक प04(17)वित्त/आब/2004 दिनांक 12.2.2005 के क्रम में वर्ष 2005–06 की आबकारी एवं मद्य संयम नीति के शेष बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. देशी मदिरा के पव्वे (180 एमएल), अद्धे (375 एमएल) तथा बोतल (750 एमएल) पर अधिकतम खुदरा मूल्य क्रमशः रू0 24/–, रू0 50/– व रू0 100/– प्रति नग रहेगा। देशी मदिरा की कीमतों में कम से कम 6 माह तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2. देशी मदिरा समूहों के सन्दर्भ में वर्तमान व्यवस्था (17 प्रतिशत नकद जमा या 10 प्रतिशत नकद तथा 10 प्रतिशत बैंक गारंटी) के अतिरिक्त एकाकी विशेषाधिकार राशि का 20 प्रतिशत नेट वर्थ/सोलवेन्सी अलग से प्राप्त की जावे।

3. पूर्व पत्र में बिन्दु संख्या 3 (बन्दोबस्त प्रक्रिया) में उल्लेख था कि उन गैर नगरपालिका कस्बों/गांवों में जहां पर जनसंख्या 50,000 तक है, वहां पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानों को लेने का प्रथम अधिकार उस समूह के देशी मदिरा के अनुज्ञाधारी को दिया जायेगा। इस हेतु देशी मदिरा की निविदायें आमंत्रित करते समय ही निविदादाता से ऐसी दुकानों को लेने का विकल्प मांगा गया था।

अब देशी मदिरा के अनुज्ञाधारी को आदेश (award) देने के बाद भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों के स्थान का निर्णय करने हेतु 10 दिन का समय दिया जायेगा।

4. देशी मदिरा के निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में एक अथवा एक से अधिक समूहों के लिए सम्मिलित निविदा (joint bid) प्रस्तुत की जा सकेंगी अर्थात अगर निविदादाता चाहे तो एक से अधिक मदिरा समूहों के लिए एक निविदा (one bid for multiple groups) दे सकते हैं, जिसमें ऐसे सम्मिलित सभी समूहों के लिए निर्धारित आरक्षित राशि को जोड़कर उसके स्थान पर अपनी प्रस्तावित राशि का उल्लेख कर सकते है।

5. भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानें जो कि शहरी सीमा या नगरपालिका क्षेत्र (जो भी अधिक हो) के 5 किमी की दूरी तक अवस्थित है ऐसी दुकानों से संबंधित शहरी क्षेत्रों का अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किया गया है।

6. भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर की रिटेल दुकानों हेतु आवेदन शुल्क लाईसेंस फीस का 1 प्रतिशत होगी। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

25/2/05

भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क 150/– रूपये से 600/– रूपये प्रति एल.पी.एल. रखा गया है। यह निर्माता द्वारा घोषित मूल्य पर निम्नानुसार होगा :

(राशि रूपयों में)

निर्माता द्वारा घोषित मूल्य (प्रति केस)	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल
400 तक	170
401 से 600	210
601 से 900	250
901 से 1500	280
1501 से 3000	350
3001 से अधिक	500

9. बीयर पर रूपये 2/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त वेन्ड फीस वसूल की जायेगी ।

10. पूर्व में रेस्टोरेन्ट बार के लिए न्यूनतम टर्न ओवर 10 लाख रूपये वार्षिक रखा गया था । इस 10 लाख रूपये में से कर योग्य टर्न ओवर 5 लाख रूपये किया गया था । यह सभी प्रकार के रेस्टोरेन्टों जिनको पूर्व में लाईसेंस दिया जा चुका है उन पर भी लागू होगा । यदि किसी बार को वर्ष 2004–05 में लाईसेंस दिया गया है और उसका कर योग्य टर्न ओवर 5 लाख रूपये नहीं है तो उसको वर्ष 2005–06 में लाईसेंस नहीं दिया जावेगा।

11. होटल बार के लिए जयपुर में न्यूनतम कमरों की संख्या 20 तथा अन्य जगहों के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 15 रखी गई है । यह व्यवस्था सभी होटलों के लिए लागू होगी चाहे उन्हें पूर्व में ही लाईसेंस प्रदान किया गया हो ।

12. भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय सिवाई नगरपालिका क्षेत्र माना जाये । इसी प्रकार माउन्ट आबू तथा जैसलमेर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानों की लाईसेंस फीस संभागीय मुख्यालयों पर ली जाने वाली राशि 2.5 लाख रूपये रखी गई है ।

13. होलसेल अनुज्ञाधारियों को भी एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष के लिए नवीनीकरण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो पर नवीनीकरण का विकल्प दिया जावेगा।

14. भांग–डोडा पोस्त के लिए ठेकों की अवधि एक वर्ष रखी गई है ।

इस नीति को लागू करने के लिए कानून/नियमों/आदेशों आदि में जो संशोधन किया जाना अपेक्षित हो उनके लिए अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र भिजवाने का श्रम करें ।

आबकारी बन्दोबस्त दिनांक 20.3.2005 तक पूर्ण कर सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की जाये ।

25/2/05

(खेमराज)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग

(26)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक 04(17)वित्त / आब / 2004 जयपुर, दिनांक : 26.2.2005

आयुक्त,
आबकारी विभाग
राजस्थान
उदयपुर ।

विषय : <u>वर्ष 2005–06 की आबकारी एवं मद्य संयम नीति</u>

महोदय,

आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आबकारी ड्यूटी / फीस आदि इस पत्र के साथ संलग्नक "अ" के अनुसार होंगी ।

भवदीय,

(खेमराज)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग

(27)

EXCISE TARIFF STRUCTURE (MISC.)

S.No.	Description	Tariff structure 2004-05	Tariff structure 2005-06
I	HOTELS & RESTAURANT BARS		
1.1	Star Hotels (Rs. in Lac) (A)-5 Star (B)-4 Star (C)-3 Star (D)-Other Hotels	5.00 4.00 3.00 1.50 and 0.75 lac	5.00 lacs 4.00 lacs 4.00 lacs IMFL/Beer Retail License fee of that area+1.00 lac
1.2	Luxury Train (Rs. in Lac)	2.50	4.0
1.3	Heritage Hotels (Rs. in Lac) -Cat. A -Cat B -Cat C	5.00 1.50 0.75	There will be no change of rates for heritage hotels
1.4	Fee of shops for Beer and Ready to Drink in Pints at the Divisional Headquarters Mount Abu, Alwar and Jaisalmer		1/3rd of the fee of IMFL & Beer Retail shop
1.5	Clubs Fees -In Jaipur -Other places	0.40 0.30	Rs. 0.75 lac Rs. 0.50 lac
1.6	Permit Fee	Rs.4.00/BL	Rs. 4.00/BL
1.7	Lic. Fee and Addl. Lic. Fee (IMFL/Beer) for all licensees except on foreign imported liquor	2.00/1.00 3.00/2.00	
1.8	Surcharge on IMFL	25% of ED	30% of menu price of hotel but not less than 25% of ED
1.9	Surcharge on Beer	50% of ED	30% of menu price of hotel/restaurant/ pub but not less than 25% of ED
2.	CSD (Services)		
2.1	Lic. Fee -Wholesale -Retail Units	20.00 0.025	W.S.+30.00 as Priv. Fee 0.025/unit
2.2	Other Fees (a) On Wholesale -Permit Fee (b) On Retail -Permit Fee -Surcharge RUM & IMFL Beer -Excise Duty Rum IMFL & Beer	- 4.0/BL 25.0/BL 5.0/BL 50/LPL (=37.5/BL) Normal E.D.	Rs. 0.25/BL Rs. 4.00/BL Rs. 25.0/BL Rs. 5.0/BL Rs. 50/LPL (=37.5/BL) Normal E.D.
3	Distillery (Rs. in Lac)		30.00 lacs
3.1	Lic. Fee.	4.00	-
3.2	Laboratory Fee	0.25	-
3.3	Supervision Charge	0.60	-
3.4	Bonded Warehouse (BWH) Fee	2.00	W.S.

3.5	Label -Registration Fee -Renewal Fee	 0.05 0.03	 0.25 lac 0.25 lac
3.6	Bottling Fee IMFL -Own -Franchise	 2.0/BL 3.0/BL	 Rs. 2.0/BL Rs. 3.0/BL
3.7	Molasses -Bringing-in Fee -Permit Fee (M I,II etc.	 1.5/Qtl. 500/permit	 Rs. 1.5/Qtl. Rs. 500/permit
3.8	RS/ENA -Bringing-in Fee -Transp. Fee	 4.5/ BL 2.0/ BL	 Rs. 3.0/BL Rs. 4.0/BL
3.9	IMFL -Sending-out Fee -Sending-out permit fee	 2.0/BL -	 Rs. 1.0/BL Rs. 500/permit
4	Brewery		
4.1	Lic. Fee	4.0	20.00 lacs
4.2	Franchise Fee	2.0	
4.3	Laboratory Fee	0.25	
4.4	Supervision Charge	0.60/Yr	-
4.5	BWH Fee	2.0	WS
4.6	Bottling Fee Beer -Own -Franchise	 1.50/BL 2.30/BL	 Rs. 2.00/BL Rs. 3.00/BL
4.7	Beer -Sending-out Fee -Sending-out permit Fee	 0.25/BL -	 - Rs. 500/Permit
5	Bottling Plants		
5.1	Lic. Fee	1.0	5.0 lac
5.2	Franchise Fee	0.50	-
5.3	Laboratory Fee	0.25	-
5.4	Supervision charges	0.48	-
5.5	BWH Fee	2.0	W.S.
5.6	Label -Registration Fee -Renewal Fee	 0.05 0.03	 0.25 lac 0.25 lac
5.7	Bottling Fee -IMFL -Own -Franchise -CL	 2.0/BL 3.0/BL 2.0/BL	 Rs. 2.0/BL Rs. 3.0/BL Rs. 2.0/BL
5.8	RS,ENA -Bringing-in Fee -Transp. Fee	 4.5/BL 2.0/BL	 Rs. 3.0/BL Rs. 4.0/BL
5.9	CL -Sending-out Fee -Sending-out Permit Fee	 0.50/BL -	 Rs. 500/permit
6	Bonded Warehouse-BWH		
6.1	BWH Fee IMFL Beer Wine	 5.0 4.0 2.0	 WS WS 50% of WS
6.2	Supervision charges	0.48	-
6.3	Brand Fee IMFL Beer Wine	 0.50 0.25 0.25	 - - -

6.4	Bringing-in Fee IMFL, Wine Beer	 6.0/BL 5.0/BL	 Rs. 5.0/BL Rs. 5.0/BL
7	GSM GSM Lic. Fee Supervision Charges Bottling Fee	 1.0 0.48 1.0/BL	 Rs. 1.0 - Rs. 1.0/BL
8	Country Liquor RS -Bringing-in Fee -GSM -Others	 3.0/BL 4.5/BL	 Rs. 3.0/BL Rs. 3.0/BL
9	IMFL/Beer -License transfer fee - Country liquor/IMFL/Beer Shop shifting fee -Country liquor/IMFL/Beer Partner inclusion fee	 - - -	 50% of LF 25% of LF of new shop 25000/- Partner

Note: 1. Manufacturer can use IMFL/Beer bond for country liquor also and supply the country liquor to the licensee directly. He can also open bond in other places with a fee of Rs. 2.00 lac per bond at his option.

2. 50% set off in bottling fee would be given for quantity of IMFL, Beer and Country Liquor sold and sent out of State.

3. WS- Rate applicable at IMFL & Beer wholesale License Fee.

28/2/05

(30) गोपनीय

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक एफ 4(17)वित्त / आब. / 2004 जयपुर, दिनांक: 4–3–2005

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राज. उदयपुर

वि — वर्ष 2005–06 आबकारी एवं मद्य संयम नीति
संदर्भ - इस विभाग के पत्र दिनांक 12.2.2005, 25.2.2005 एवं 26.2.2005

उपरो... विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वर्ष 2005–06 आबकारी एवं मद्य संयम नीति में नि... संशोधन किये गये है:–

1. ब्रेबरीज ... ज के लिये लाईसेन्स फीस 20 लाख प्रतिवर्ष से घटाकर 12 लाख प्रतिवर्ष की गई है।

2. डिस्टीलरीज : डिस्टीलरीज की लाईसेन्स फीस 30 लाख प्रतिवर्ष से घटाकर उत्पादन क्षमता आधारित शुल्क निम्न प्रकार से किया गया है:–

100 लाख ... एल. प्रति वर्ष से कम	15 लाख रूपये
100 लाख बी. एल. एवं 150 लाख बी.एल. प्रतिवर्ष से कम	16 लाख रूपये
150 लाख बी.एल. प्रति वर्ष एवं अधिक	17 लाख रूपये

3. आर.एस. / ई.एन.ए. :

3.1 बाहर से आयात करने की फीस 3 रूपये प्रति बी.एल.से बढ़ाकर 3.50 रूपये प्रति बी.एल. की जाती है।

3.2 राज्य के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट फीस 4 प्रति बी.एल. को घटाकर 1.50 रूपये प्रति बी.एल. की गई है। (परिवहन के साथ भौतिक चैक भी रखा जावेगा)

4. होटलबार :

4.1 होटलबार लाईसेन्स की फीस ... शहर की रीटेलऑफ दुकान की लाईसेन्स फीस के बराबर होगी ... में रिटेलऑफ लाईसेन्स फीस + एक लाख निर्धारित की गई थी)

4.2 सरचार्ज आबकारी शुल्क का 25 प्रतिशत रहेगा। (पूर्व में होटल के मीनू प्राईस का 30 प्रतिशत लेकिन आबकारी शुल्क के 25 प्रतिशत से कम नहीं, निर्धारित किया गया था)

4

4.3 शर्तों के अनुसार कमरों को बनाने हेतु आठ माह का समय दिया जायेगा। (वर्तमान होटलबार लाईसेन्सधारी को नवीनीकरण हेतु)

5. आर.टी.डी./बीयर (पिन्टस में) : सम्भागीय मुख्यालयों माउण्ट आबू, जैसलमेर व अ... शहर में फूड आईटम्स/बेवरेजेज का विक्रय करने वाली दुकानों पर पिंट बीयर व रेडी टू ड्रिंक मदिरा के निर्णय को समाप्त कर दिया गया है अर्थात ऐसी दुकानों का चयन नहीं किया जायेगा।

6. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के खुदरा अनुज्ञाधारी :

6.1 यदि सरकारी आदेशों के कारण कोई दुकान स्थानान्तरित की जाती है तो उस पर स्थानान्तरण फीस लागू नहीं होगी।

6.2 लॉटरी में चयन होने के उपरान्त भी यदि आवेदनकर्ता दुकान नही खोलता है तो उसका दायित्व उसके द्वारा जमा कराई गई राशि तक सीमित रहेगा अर्थात उसकी कोई ब्लेक लिस्टींग नहीं होगी।

6.3 आबकारी आयुक्त दुकान आवंटन की आगे की पुनः कार्यवाही कर सकेगा।

6.4 भारत निर्मित विदेशी मदिरा /बीयर के रीटेल अनुज्ञाधारी के लिये अलग से गोदाम रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

6.5 भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के खुदरा व्यापार हेतु जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे सभी को प्रतीक्षा सूची में स्थान मिलेगा। अर्थात प्रतीक्षासूची हेतु पहले निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा समाप्त की जाती है।

7. देशी मदिरा ठेकों हेतु सोल्वेन्सी के बारे में अब निम्न स्थिति निर्धारित की गई है:-

7.1 17 प्रतिशत नकद या 10 प्रतिशत नकद तथा 10 प्रतिशत बैंक गारण्टी

तथा

15 प्रतिशत सोलवेन्सी या 10 प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारण्टी

7.2 अर्थात 20 प्रतिशत की सोल्वेन्सी के स्थान पर अब 15 प्रतिशत सोलवेन्सी या 10 प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारण्टी की गई है।

7.3 देशी मदिरा की दुकानों की संख्या देशी मदिरा की दुकानों की संख्या 7000 तक ही सीमित रखी जावे।

विभिन्न प्रकार की नवीनिकरण फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 28.2.2005 को बढ़ाकर 10.3.2005 तक की जाती है।

आबकारी बन्दोबस्त दिनांक 20.3.2005 तक पूर्ण ... राज्य सरकार को प्रेषित की जाये।

(खेमराज)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

आबकारी (38)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक : प04(17)वित्त/आब/2004 जयपुर, दिनांक : 25.2.2005

आयुक्त,
आबकारी विभाग
राजस्थान
उदयपुर ।

विषय : वर्ष 2005–06 की आबकारी एवं मद्य संयम नीति

महोदय,

इस विभाग के पत्र क्रमांक प04(17)वित्त/आब/2004 दिनांक 12.2.2005 के क्रम में वर्ष 2005–06 की आबकारी एवं मद्य संयम नीति के शेष बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. देशी मदिरा के पव्वे (180 एमएल), अद्धे (375 एमएल) तथा बोतल (750 एमएल) पर अधिकतम खुदरा मूल्य क्रमशः रू0 24/–, रू0 50/– व रू0 100/– प्रति नग रहेगा । देशी मदिरा की कीमतों में कम से कम [illegible] तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2. देशी मदिरा समूहों के सन्दर्भ में वर्तमान व्यवस्था (17 प्रतिशत नकद जमा या 10 प्रतिशत नकद तथा 10 प्रतिशत बैंक गारंटी) के अतिरिक्त एकाकी विशेषाधिकार राशि का 20 प्रतिशत नेट वर्थ/सोल्वेन्सी अलग से प्राप्त की जावे ।

3. पूर्व पत्र में बिन्दु संख्या 3 (बन्दोबस्त प्रक्रिया) में उल्लेख था कि उन गैर नगरपालिका कस्बों/गांवों में जहां पर जनसंख्या 50,000 तक है, वहां पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानों को लेने का प्रथम अधिकार उस समूह के देशी मदिरा के अनुज्ञाधारी को दिया जायेगा। इस हेतु देशी मदिरा की निविदायें आमंत्रित करते समय ही निविदादाता से ऐसी दुकानों को लेने का विकल्प मांगा गया था।

अब देशी मदिरा के अनुज्ञाधारी को आदेश (award) देने के बाद भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों के स्थान का निर्णय करने हेतु 10 दिन का समय दिया जायेगा ।

4. देशी मदिरा के निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में एक अथवा एक से अधिक समूहों के लिए सम्मिलित निविदा (joint bid) प्रस्तुत की जा सकेगी अर्थात अगर निविदादाता चाहे तो एक से अधिक मदिरा समूहों के लिए एक निविदा (one bid for multiple groups) दे सकते हैं, जिसमें ऐसे सम्मिलित सभी समूहों के लिए निर्धारित आरक्षित राशि को जोड़कर उसके स्थान पर अपनी प्रस्तावित राशि का उल्लेख कर सकते है।

5. भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानें जो कि शहरी सीमा या नगरपालिका क्षेत्र (जो भी अधिक हो) के 5 किमी की दूरी तक अवस्थित है ऐसी दुकानों से संबंधित शहरी क्षेत्रों का अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किया गया है।

6. भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर की रिटेल दुकानों हेतु आवेदन शुल्क लाईसेंस फीस का 1 प्रतिशत होगी । यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी ।

28/2/05

भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क 150/- रूपये से 600/- रूपये प्रति एल.पी.एल. रखा गया है। यह निर्माता द्वारा घोषित मूल्य पर निम्नानुसार होगा।

(राशि रूपयों में)

निर्माता द्वारा घोषित मूल्य (प्रति केस)	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल
400 तक	179
401 से 600	210
601 से 900	250
901 से 1500	280
1501 से 3000	350
3001 से अधिक	500

9. बीयर पर रूपये 2/- प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त वेन्ड फीस वसूल की जायेगी ।

10. पूर्व में रेस्टोरेन्ट बार के लिए न्यूनतम टर्न ओवर 10 लाख रूपये वार्षिक रखा गया था । इस 10 लाख रूपये में से कर योग्य टर्न ओवर 5 लाख रूपये किया गया था । यह सभी प्रकार के रेस्टोरेन्टों जिनको पूर्व में लाईसेंस दिया जा चुका है उन पर भी लागू होगा । यदि किसी बार को वर्ष 2004-05 में लाईसेंस दिया गया है और उसका कर योग्य टर्न ओवर 5 लाख रूपये नहीं है तो उसको वर्ष 2005-06 में लाईसेंस नहीं दिया जावेगा।

11. होटल बार के लिए जयपुर में न्यूनतम कमरों की संख्या 20 तथा अन्य जगहों के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 15 रखी गई है । यह व्यवस्था सभी होटलों के लिए लागू होगी चाहे उन्हें पूर्व में ही लाईसेंस प्रदान किया गया हो ।

12. भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय निवार्(?) नगरपालिका क्षेत्र माना जाये । इसी प्रकार माउन्ट आबू तथा जैसलमेर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानों की लाईसेंस फीस संभागीय मुख्यालयों पर ली जाने वाली राशि 2.5 लाख रूपये रखी गई है ।

13. होलसेल अनुज्ञाधारियों को भी एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष के लिए नवीनीकरण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर नवीनीकरण का विकल्प दिया जावेगा।

14. भांग-डोडा पोस्त के लिए ठेकों की अवधि एक वर्ष रखी गई है ।

इस नीति को लागू करने के लिए कानून/नियमों/आदेशों आदि में जो संशोधन किया जाना अपेक्षित हो उनके लिए अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र भिजवाने का श्रम करें ।

आबकारी बन्दोबस्त दिनांक 20.3.2005 तक पूर्ण कर सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की जाये ।

(खेमराज)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग

34

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक 04(17)वित्त / आब / 2004 जयपुर, दिनांक : 26.2.2005

आयुक्त,
आबकारी विभाग
राजस्थान
उदयपुर ।

विषय : वर्ष 2005–06 की आबकारी एवं मद्य संयम नीति

महोदय,

आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आबकारी ड्यूटी / फीस आदि इस पत्र के साथ संलग्नक "अ" के अनुसार होंगी ।

भवदीय,

(खेमराज)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग

EXCISE TARIFF STRUCTURE (MISC.)

S.No.	Description	Tariff structure 2004-05	Tariff structure 2005-06
I	HOTELS & RESTAURANT BARS		
1.1	Star Hotels (Rs. in Lac)		
	(A)-5 Star	5.00	5.00 lacs
	(B) -4 Star	4.00	4.00 lacs
	(C) -3 Star	3.00	4.00 lacs
	(D)-Other Hotels	1.50 and 0.75 lac	IMFL/Beer Retail License fee of that area+1.00 lac
1.2	Luxury Train (Rs. in Lac)	2.50	4.0
1.3	Heritage Hotels (Rs. in Lac)		There will be no change of rates for heritage hotels
	-Cat. A	5.00	
	-Cat B	1.50	
	-Cat C	0.75	
1.4	Fee of shops for Beer and Ready to Drink in Pints at the Divisional Headquarters Mount Abu, Alwar and Jaisalmer		1/3rd of the fee of IMFL & Beer Retail shop
1.5	Clubs Fees		
	-In Jaipur	0.40	Rs. 0.75 lac
	-Other places	0.30	Rs. 0.50 lac
1.6	Permit Fee	Rs.4.00/BL	Rs. 4.00/BL
1.7	Lic. Fee and Addl. Lic. Fee (IMFL/Beer) for all licensees except on foreign imported liquor	2.00/1.00 3.00/2.00	-
1.8	Surcharge on IMFL	25% of ED	30% of menu price of hotel but not less than 25% of ED
1.9	Surcharge on Beer	50% of ED	30% of menu price of hotel/restaurant/ pub but not less than 25% of ED
2.	CSD (Services)		
2.1	Lic. Fee		
	-Wholesale	20.00	W.S.+30.00 as Priv. Fee
	-Retail Units	0.025	0.025/unit
2.2	Other Fees		
	(a) On Wholesale		
	-Permit Fee		Rs. 0.25/BL
	(b) On Retail		
	-Permit Fee	4.0/BL	Rs. 4.00/BL
	-Surcharge		
	RUM & IMFL	25.0/BL	Rs. 25.0/BL
	Beer	5.0/BL	Rs. 5.0/BL
	-Excise Duty		
	Rum	50/LPL (=37.5/BL)	Rs. 50/LPL (=37.5/BL)
	IMFL & Beer	Normal E.D.	Normal E.D.
3	Distillery (Rs. in Lac)		
3.1	Lic. Fee	4.00	30.00 lacs
3.2	Laboratory Fee	0.25	-
3.3	Supervision Charge	0.60	-
3.4	Bonded Warehouse (BWH) Fee	2.00	W.S.

25/. < (margin note)

16/ 137 P. (margin note)

(signature) 18/2/05

3.5	Label Registration Fee -Renewal Fee	0.05 0.03	0.25 lac 0.25 lac
3.6	Bottling Fee IMFL -Own -Franchise	2.0/BL 3.0/BL	Rs. 2.0/BL Rs. 3.0/BL
3.7	Molasses -Bringing-in Fee -Permit Fee (M I,II etc.	1.5/Qtl. 500/permit	Rs. 1.5/Qtl. Rs. 500/permit
3.8	RS/ENA -Bringing-in Fee -Transp. Fee	4.5/ BL 2.0/ BL	Rs. 3.0/BL Rs. 4.0/BL
3.9	IMFL -Sending-out Fee -Sending out permit fee	2.0/BL	Rs. 1.0/BL Rs. 500/permit
4	Brewery	-	
4.1	Lic. Fee	4.0	20.00 lacs
4.2	Franchise Fee	2.0	
4.3	Laboratory Fee	0.25	
4.4	Supervision Charge	0.60/Yr	-
4.5	BWH Fee	2.0	WS
4.6	Bottling Fee Beer -Own -Franchise	1.50/BL 2.30/BL	Rs. 2.00/BL Rs. 3.00/BL
4.7	Beer -Sending-out Fee -Sending-out permit Fee	0.25/BL	- Rs. 500/Permit
5	Bottling Plants	-	
5.1	Lic. Fee	1.0	5.0 lac
5.2	Franchise Fee	0.50	-
5.3	Laboratory Fee	0.25	-
5.4	Supervision charges	0.48	-
5.5	BWH Fee	2.0	W.S.
5.6	Label -Registration Fee -Renewal Fee	0.05 0.03	0.25 lac 0.25 lac
5.7	Bottling Fee -IMFL -Own -Franchise -CL	2.0/BL 3.0/BL 2.0/BL	Rs. 2.0/BL Rs. 3.0/BL Rs. 2.0/BL
5.8	RS,ENA -Bringing in Fee -Transp. Fee	4.5/BL 2.0/BL	Rs. 3.0/BL Rs. 4.0/BL
5.9	CL -Sending-out Fee -Sending-out Permit Fee	0.50/BL	Rs. 500/permit
6	Bonded Warehouse-BWH	-	
6.1	BWH Fee IMFL Beer Wine	5.0 4.0 2.0	WS WS 50% of WS
6.2	Supervision charges	0.48	-
6.3	Brand Fee IMFL Beer Wine	0.50 0.25 0.25	- - -

6.4	Bringing-in Fee IMFL, Wine Beer	 6.0/BL 5.0/BL	 Rs. 5.0/BL Rs. 5.0/BL
7	GSM GSM Lic. Fee Supervision Charges Bottling Fee	 1.0 0.48 1.0/BL	 Rs. 1.0 - Rs. 1.0/BL
8	Country Liquor RS -Bringing-in Fee -GSM -Others	 3.0/BL 4.5/BL	 Rs. 3.0/BL Rs. 3.0/BL
9	IMFL/Beer -License transfer fee - Country liquor/IMFL/Beer Shop shifting fee -Country liquor/IMFL/Beer Partner inclusion fee	 - - -	 50% of LF 25% of LF of new shop 25000/- Partner

Note: 1. Manufacturer can use IMFL/Beer bond for country liquor also and supply the country liquor to the licensee directly. He can also open bond in other places with a fee of Rs. 2.00 lac per bond at his option.

2. 50% set off in bottling fee would be given for quantity of IMFL, Beer and Country Liquor sold and sent out of State.

3. WS- Rate applicable at IMFL & Beer wholesale License Fee.

18/7/05

(38)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक एफ 4(17)वित्त/आब./2004 जयपुर, दिनांक: 4-3-2005

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राज. उदयपुर

वि — वर्ष 2005-06 आबकारी एवं मद्य संयम नीति
संदर्भ - इस विभाग के पत्र दिनांक 12.2.2005, 25.2.2005 एवं 26.2.2005

उपरो... विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वर्ष 2005-06 आबकारी एवं मद्य संयम नीति में नि... संशोधन किये गये हैः-

1. ब्रेवरीज : ...ज के लिये लाईसेन्स फीस 20 लाख प्रतिवर्ष से घटाकर 12 लाख प्रतिवर्ष की गई है।

2. डिस्टीलरीज : डिस्टीलरीज की लाईसेन्स फीस 30 लाख प्रतिवर्ष से घटाकर उत्पादन क्षमता आधारित शुल्क निम्न प्रकार से किया गया हैः-

100 लाख ... एल. प्रति वर्ष से कम	15 लाख रूपये
100 लाख बी.एल. एवं 150 लाख बी.एल. प्रतिवर्ष से कम	16 लाख रूपये
150 लाख बी.एल. प्रति वर्ष एवं अधिक	17 लाख रूपये

3. आर.एस. / ई.एन.ए. :

3.1 बाहर से आयात करने की फीस 3 रूपये प्रति बी.एल.से बढ़ाकर 3.50 रूपये प्रति बी.एल. की जाती है।

3.2 राज्य के अन्तर्गत ट्रान्सपो... फीस 4 प्रति बी.एल. को घटाकर 1.50 रूपये प्रति बी.एल. की गई है। (परिवहन के साथ भौतिक चैक भी रखा जावेगा)

4. होटलबार :

4.1 होटलबार लाईसेन्स की फीस ... शहर की रीटेलऑफ दुकान की लाईसेन्स फीस के बराबर होगी। ... में रिटेलऑफ लाईसेन्स फीस + एक लाख निर्धारित की गई थी)

4.2 सरचार्ज आबकारी शुल्क का 25 प्रतिशत रहेगा। (पूर्व में होटल के मीनू प्राईस का 30 प्रतिशत लेकिन आबकारी शुल्क के 25 प्रतिशत से कम नहीं, निर्धारित किया गया था)

शर्तों के अनुसार कमरों को बनाने हेतु आठ माह का समय दिया जायेगा। (वर्तमान होटलबार लाईसेन्सधारी को नवीनीकरण हेतु)

5. आर.टी.डी. / बीयर (पिन्टस में) : सम्भागीय मुख्यालयों माउण्ट आबू, जैसलमेर व अ... शहर में फूड आईटम्स / बेवरेजेज का विक्रय करने वाली दुकानों पर पिंट बीयर व रेडी टू ड्रिंक मदिरा के निर्णय को समाप्त कर दिया गया है अर्थात ऐसी दुकानों का चयन नहीं किया जायेगा।

6. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के खुदरा अनुज्ञाधारी :

6.1 यदि सरकारी आदेशों के कारण कोई दुकान स्थानान्तरित की जाती है तो उस पर स्थानान्तरण फीस लागू नहीं होगी।

6.2 लॉटरी में चयन होने के उपरान्त भी यदि आवेदनकर्ता दुकान नहीं खोलता है तो उसका दायित्व उसके द्वारा जमा कराई गई राशि तक सीमित रहेगा अर्थात उंसकी कोई ब्लेक लिस्टींग नहीं होगी।

6.3 आबकारी आयुक्त दुकान आवंटन की आगे की पुनः कार्यवाही कर सकेगा।

6.4 भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर के रीटेल अनुज्ञाधारी के लिये अलग से गोदाम रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

6.5 भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के खुदरा व्यापार हेतु जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होगें सभी को प्रतीक्षा सूची में स्थान मिलेगा। अर्थात प्रतीक्षासूची हेतु पहले निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा समाप्त की जाती है।

7. देशी मदिरा ठेकों हेतु सो... न्सी के बारे में अब निम्न स्थिति निर्धारित की गई है:-

7.1 17 प्रतिशत नकद या 10 प्रतिशत नकद तथा 10 प्रतिशत बैंक गारण्टी

तथा

15 प्रतिशत सोलवेन्सी या 10 प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारण्टी

7.2 अर्थात 20 प्रतिशत की सोल्वेन्सी के स्थान पर अब 15 प्रतिशत सोलवेन्सी या 10 प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारण्टी की गई है।

7.3 देशी मदिरा की दुकानों की संख्या देशी मदिरा की दुकानों की संख्या 7000 तक ही सीमित रखी जावे।

विभिन्न प्रकार की नवीनिकरण फीस जमा ... की अंतिम तारीख 28.2.2005 को बढ़ाकर 10.3.2005 तक की जाती है।

आबकारी बन्दोबस्त दिनांक 20.3.2005 तक पूर्ण ... राज्य सरकार को प्रेषित की जाये।

(खेमराज)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

90

Government of Rajasthan
Finance (Revenue) Department

No. F4(17)FD/Excise/04-Pt. Jaipur, Dated : 25.2.2005

Commissioner,
Excise Department,
Rajasthan, Udaipur.

Sub:-Provision for Grant of wholesale trade and retail-off licenses for sale of IMFL/Beer.

Sir,

I am directed to say that for Excise settlement for the year 2005-06 it has been decided to give retail-off licenses for sale of IMFL and Beer on shop basis. It has also been decided to give license for whole sale of IMFL and Beer. The first NIT may be issued in this regard by Excise Commissioner at least 10 days before the date fixed in the notice for the receipt of tenders for retail and wholesale license of IMFL/Beer.

If sufficient application are not received within this period then Excise Commissioner has been authorized to invite further applications through tender notice on first-come-first-license basis. A general notice can be issued by Excise Commissioner for this purpose.

Yours faithfully,

(Khemraj)
Secretary, Finance (Revenue)

51

गोपनीय

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक : प.4(44)वित्त/आब/2005 दिनांक : 27.1.2006

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

विषय : आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2006–07 के संबंध में।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2006–07 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं:–

1. **अवधि** : आगामी आबकारी बंदोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007) की होगी ।
2. **बंदोबस्त प्रणाली** : भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर के अलावा देशी मदिरा के ठेके भी इस पत्र में आगे दिये गये विवरण अनुसार पृथक पृथक दुकान / दुकानों के समूह हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. **बंदोबस्त प्रकिया** : देशी मदिरा दुकान / दुकानों के समूह हेतु आवेदन आमंत्रित कर एवं किसी दुकान / दुकानों के समूह के लिए एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में लॉटरी द्वारा सफल आवेदक का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान / दुकानों के समूह आवंटित न हो। भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर रिटेल ऑफ की नगरीय क्षेत्रों में जो 2000 दुकानें

(अर्थात् कम्पोजिट दुकानों को छोडकर) वर्ष 2005–06 में स्वीकृत की गई थी, उन दुकानों के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2006–07 हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करवाने का विकल्प दिया जायेगा।

देशी मदिरा

4. **देशी मदिरा दुकानों / दुकान समूहों की संख्या** : वर्ष 2005–06 में मूल देशी मदिरा दुकानों की संख्या 7000 निर्धारित की गई थी । वर्ष 2006–07 के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका वार्ड को इकाई मानकर उसमें वर्तमान में संचालित हो रही दुकान / दुकानों को ग्राम पंचायतवार / नगरपालिका वार्डवार देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन करवाया जावे। वर्ष 2006–07 के आबकारी बन्दोबस्त में वर्ष 2005–06 की तुलना में देशी मदिरा की दुकानों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाये।

5. **जनजाति क्षेत्र में देशी मदिरा का विकय** : राज्य के जनजाति क्षेत्र में भी देशी मदिरा का बंदोबस्त राज्य के शेष क्षेत्र के अनुरूप ग्राम पंचायतवार / नगरपालिका वार्डवार करवाया जावे । जनजाति क्षेत्र की विशिष्ठ स्थिति / आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनजाति क्षेत्र में पाउच में देशी मदिरा की प्रदायगी एवं 60 यूपी तेजी की मदिरा बेच सकने की अनुमति होगी।

6. **देशी मदिरा दुकानों की वार्षिक राशि, बेसिक लाईसेंस फीस व आबकारी शुल्क का निर्धारण** :

(1) वर्ष 2005–06 में राज्य की देशी मदिरा दुकानों हेतु प्राप्त एकाकी विशेषाधिकार राशि एवं इस वर्ष में देशी मदिरा की संभावित लिफटिंग पर प्राप्त होने वाले आबकारी शुल्क की कुल अनुमानित राशि रू. 640 करोड में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर राज्य की समस्त देशी मदिरा दुकानों हेतु कुल वार्षिक राशि रू. 672 करोड निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है ।

(2) उक्तानुसार निर्धारित होने वाली वार्षिक राशि बेसिक लाईसेंस फीस एवं देशी मदिरा दुकान / दुकान समूह हेतु निर्धारित होने वाली न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय आबकारी शुल्क के रूप में वसूली योग्य होगी ।

(3) वर्ष 2005--06 में राज्य में होने वाले देशी मदिरा के संभावित उठाव 8 करोड बल्क लीटर में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर प्राप्त होने वाली मात्रा 8.40 करोड बल्क लीटर राज्य की कुल देशी मदिरा दुकानों हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा होगी । आबकारी विभाग ने कुछ समय पूर्व रेण्डम तरीके से राज्य की समस्त मदिरा दुकानों की बिकी / उठाव के आंकडे एकत्रित किये थे । किसी देशी मदिरा दुकान / दुकानों के समूह हेतु वार्षिक राशि एवं न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा मदिरा की बिकी / उठाव के अनुपात में निर्धारित की जावे। चूंकि राज्य में खपत होने वाली देशी मदिरा की अधिकांश मात्रा 40 यूपी देशी मदिरा की होती है, अतः न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण 40 यूपी मदिरा के संदर्भ में कर लिया जावे।

(4) किसी मदिरा दुकान / दुकान समूह की बेसिक लाईसेंस फीस की गणना उस दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रू. 10 प्रति बल्क लीटर की दर से की जावेगी।

(5) देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर रू. 70 प्रति बल्क लीटर (40 यूपी तेजी की मदिरा हेतु) होगी । आबकारी शुल्क की यह दर रू. 116.67 प्रति प्रूफ लीटर होती है ।

7. **बेसिक लाईसेंस फीस व शेष वार्षिक राशि की वसूली** : किसी दुकान / दुकान समूह के लिए निर्धारित बेसिक लाईसेंस फीस की पूरी राशि दुकान संचालन से पूर्व आवेदन पत्र के लिए निर्धारित शर्तों में अंकित तिथि तक जमा करानी होगी। किसी दुकान / दुकान समूह के लिए निर्धारित वार्षिक राशि में से बेसिक लाईसेंस फीस की राशि घटाने के पश्चात् शेष रही राशि 12 बराबर मासिक किश्तों में वसूली योग्य होगी।

8. **सत्यांकर एवं प्रतिभूति राशि** : देशी मदिरा दुकानों के संदर्भ में सत्यांकर राशि, उस दुकान / दुकान समूह की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर होगी । यह

सत्यांकर राशि सफल आवेदनकर्ता की धरोहर राशि में समायोजित कर ली जायेगी। सफल आवेदनकर्ता को बेसिक लाईसेंस फीस के बराबर राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी जो अंतिम मासिक किश्तों पेटे समायोजित की जा सकेगी।

9. **आवेदन शुल्क** : रू. 10.00 लाख तक की वार्षिक राशि की दुकान / दुकानों के समूह हेतु आवेदन शुल्क रू. 1500/– एवं इससे अधिक वार्षिक राशि की दुकानों हेतु आवेदन शुल्क रू. 3000/– निर्धारित किया जाता है।

10. **अधिकतम एवं न्यूनतम खुदरा विक्रय मूल्य का निर्धारण** : वर्ष 2005–06 में देशी मदिरा का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने का प्रावधान किया गया था। इसे यथावत रखते हुए मदिरा का न्यूनतम विक्रय मूल्य भी निर्धारित किये जा सकने का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है।

11. **देशी मदिरा की आपूर्ति** : देशी मदिरा की आपूर्ति का 25 प्रतिशत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा किया जाकर, शेष 75 प्रतिशत की आपूर्ति राज्य में अवस्थित अन्य डिस्टलरीज़ द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वर्तमान व्यवस्था में यह परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है कि 75 प्रतिशत आपूर्ति जो राज्य की निजी डिस्टलरीज़ द्वारा की जानी है, को राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से अनुज्ञाधारियों को उपलब्ध करवाया जायेगा। इस कार्य हेतु राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर कमीशन देय होगा।

<u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर</u>

12. **भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर दुकानों की संख्या** : वर्ष 2005–06 के लिए निर्धारित पूर्णरूपेण (exclusive) भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर दुकानों की संख्या 2000 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में देशी मदिरा की 2500 दुकानों को कम्पोजिट दुकानों के रूप में स्वीकृत करा सकने का प्रावधान यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य शुगर मिल्स लि. को संभागीय मुख्यालयों

पर पूर्णरूपेण (exclusive) हेरिटेज लीकर की दुकानें खोलने की अनुमति भी रहेगी।

13. वर्ष 2005–06 में राज्य में जिन अनुज्ञाधारियों को 2000 पूर्णरूपेण (exclusive) भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर दुकानों के अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये थे उन्हें अपने अनुज्ञापत्र वर्ष 2006–07 के लिए नवीनीकृत करा सकने का विकल्प दिया जाये । अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु किये जाने वाले आवेदन का शुल्क अनुज्ञापत्र हेतु नवीन आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत अर्थात् वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। एक निश्चित तिथि तक जो अनुज्ञाधारी आगामी वर्ष के लिए देय लाईसेंस फीस की राशि जमा कराकर आवेदन प्रस्तुत नही करते है, ऐसी दुकानों के लिए नये सिरे से आवेदन आमंत्रित कर वर्ष 2005–06 में अपनाई गई व्यवस्था के अनुरूप अनुज्ञापत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये।

14. भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर रिटेल दुकानों के अलावा संभागीय मुख्यालयों, माउण्ट आबू, जैसलमेर व अलवर शहर में एक निर्धारित संख्या तक ऐसी दुकानों की अनुमति भी दी गई थी जिन पर केवल पिण्ट साईज बीयर व रेडी टू ड्रिंक मदिरा की ही बिक्री होती है। ऐसे अनुज्ञाधारियों को भी वर्ष 2006–07 के लिए अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का विकल्प दिया जाये तथा इनसे भी नवीनीकरण आवेदन हेतु नवीन आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत लिया जाये।

15. भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर पर आबकारी शुल्क की दरें यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

16. भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर की थोक अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति हेतु राज्य में राजस्थान राज्य ब्रेवरेजेज निगम लि. का गठन किया गया था। अब इस निगम द्वारा सीधे ही रिटेल अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति कर सकने तथा इसके फलस्वरूप निजी व्यक्तियों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर थोक अनुज्ञापत्र दिये जाने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्तावित परिवर्तन के फलस्वरूप वर्तमान में थोक अनुज्ञाधारियों को देय पांच प्रतिशत मार्जिन की एवज में

पांच प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त आबकारी शुल्क Ex-distillery Price, CST and Export Fee, Excise Duty तथा Actual Cost Reimbursed के कुल अंश पर लिया जायेगा।

भांग – डोडा पोस्त

17. **आरक्षित राशि का निर्धारण** : भांग – डोडा पोस्त दुकानों की वर्ष 2005–06 की प्राप्त राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2006–07 के लिए आरक्षित राशि इस शर्त के निर्धारित की जाये कि किसी भी समूह की वर्ष 2006–07 की आरक्षित राशि उस समूह की वर्ष 2005–06 की आरक्षित राशि के 125 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

18. **समूहों की संख्या व बंदोबस्त की प्रकिया** : राज्य की भांग व डोडा पोस्त दुकानों का वर्ष 2005–06 में बंदोबस्त 39 समूहों में हुआ था तथा इनमें से 12 समूहों में डोडा पोस्त के ऐसे थोक भी सम्मिलित थे जो सीधे अफीम काश्तकारों से डोडा पोस्त का संग्रहण करते थे। वर्ष 2006–07 के लिए निम्न परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) राज्य के अफीम उत्पादन क्षेत्र में स्थित डोडा पोस्त के 12 थोक अनुज्ञापत्र वाले समूहों हेतु पहले चरण में कोई निविदा आमंत्रित नहीं की जायेगी।

(ii) राज्य के शेष जिलों में अर्थात् जहां मुख्य रूप से डोडा पोस्त की खपत होती है उन जिलों के लिए डोडा पोस्त भांग समूह के जो भी सफल निविदादाता होगें उनके मध्य डोडा पोस्त उत्पादन क्षेत्र के 12 समूहों की नीलामी इस प्रकार की जायेगी कि डोडा पोस्त खपत के क्षेत्र के किसी भी सफल निविदादाता को डोडा पोस्त उत्पादन क्षेत्र में एक से अधिक समूह का अनुज्ञापत्र नहीं मिले।

(iii) इस प्रकार 12 उपभोग समूहों द्वारा 12 उत्पादन समूहों का उठाव किया जायेगा। शेष 15 उपभोग समूह किसी भी उत्पादन समूहों से डोडा पोस्त खरीद सकेंगें।

19. अफीम की खेती करने वाले काश्तकारों को लाभान्वित करने हेतु डोडा पोस्त की काश्तकारों से खरीद हेतु क्रय मूल्य जो वर्तमान में 12 रूपये प्रति किलो है, को बढाकर 15 रूपये प्रति किलो किया जाता हैं ।

अन्य बिंदु

20. **होटल / रेस्टोरेंट बार** : होटल बार लाईसेंस के लिए आवेदन कर सकने वाले होटलों के लिए कमरों की न्यूनतम संख्यां जयपुर हेतु बीस एवं अन्य स्थानों हेतु पन्द्रह निर्धारित की गई थी। इस प्रतिबंध में छूट दे सकने की शक्तियां वर्तमान में राज्य सरकार में निहित है । अब यह अधिकार आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को दिये जाने का निर्णय लिया गया है, परंतु यह सुनिश्चित किया जाये कि अच्छे स्तर की होटलों को ही इस प्रकार की छूट दी जाये।

21. हेरिटेज होटलों के लिए निर्धारित बार अनुज्ञाशुल्क में निम्न अनुसार परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है :-

हेरिटेज होटल का संवर्ग	वर्तमान में निर्धारित लाईसेंस फीस (लाख रू. में)	प्रस्तावित लाईसेंस फीस (लाख रू. में)
ए	5.00	5.00
बी	1.50	1.00
सी	0.75	0.50

22. दुकानों के स्थानान्तरण पर देय शुल्क जो कि वर्तमान में नई दुकान के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की 25 प्रतिशत की राशि के बराबर है, को घटाकर नई दुकान की लाईसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

23. **शुष्क दिवस एवं मद्य – संयम :**

1. वर्ष 2005–06 की भांति वर्ष 2006–07 में शुष्क दिवसों की संख्या 4 (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महावीर जयंती एवं महात्मा गांधी जयंती) रहेगी।
2. मादक पदार्थों की बुराईयों की ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाये।

(48)

3. मदिरा बेचान स्थलों के खुलने व बंद होने के समय की कठोरता से पालना करवायी जाये।
4. मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।
5. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मदिरा को प्रतिबंधित करने संबंधी प्रावधान की पालना सख्ती से करवायी जाये।
6. मदिरा के हर पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी '**मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है**' का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आबकारी बंदोबस्त के संबंध में शेष प्रावधान / प्रक्रिया / व्यवस्था पूर्व के अनुरूप यथावत रहेंगे। परंतु कुछ फीस एवं चार्जेज के बारे में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

इन निर्देशों को लागू करने के लिए कानून / नियमों / आदेशों आदि में जो संशोधन किया जाना अपेक्षित हो उनके लिए अधिसूचनाओं / आदेशों के प्रारूप शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

आबकारी बंदोबस्त यथासंभव दिनांक 20 मार्च, 2006 तक पूर्ण करा सूचना राज्य सरकार को प्रेषित करें।

भवदीय,

27/1/06

(डी.बी. गुप्ता)
शासन सचिव,
वित्त (प्रथम) विभाग

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
आबकारी अनुभाग

क्रमांक : प.4(1)वित्त/आब/2006 दिनांक : 21.2.2007

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

विषय : आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2007–08 के संबंध में ।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2007–08 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये है :–

1. **अवधि** : आगामी आबकारी बंदोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2007 से 31.3.2008 तक) की होगी।

2. **बंदोबस्त प्रणाली** : इस अवधि के आबकारी बंदोबस्त के संबंध में समस्त प्रावधान / प्रक्रिया / व्यवस्था नीचे दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त पूर्व के अनुरूप यथावत रहेंगे।

देशी मदिरा

(क) समूहों का गठन : आप द्वारा बांसवाड़ा व डूँगरपुर जिलों को छोड़कर अन्य जिलों हेतु प्रस्तावित 5169 समूह, जो कि आप द्वारा मोटे तौर पर ग्राम पंचायतवार / नगरपालिका वार्डवार प्रस्तावित किये गये हैं, अनुमोदित किये जाते है। इनमें से कुछ समूह एक से अधिक नगरपालिका वार्डों अथवा ग्राम पंचायतों को लगती नगरपालिका वार्डो से मिलाकर बनाये गये है। बेहतर आबकारी बंदोबस्त हेतु आवश्यकता होने पर ऐसे बने हुए समूहों को छोटा करने अथवा इस प्रकार लगते हुए वार्डो और ग्राम पंचायतों को जोड़कर और नये समूह बनाने हेतु, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त के परामर्श से, आपको अधिकृत किया जाता है।

दो निकटवर्ती मदिरा समूहों में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न हो, इस दृष्टि से यह सुनिश्चित करें कि नगरपालिका सीमा से लगती हुई ग्राम पंचायतों में 2.5 किलोमीटर की दूरी में कोई नई दुकान नहीं लगायी जाये।

(ख) दुकानों की संख्या : बांसवाड़ा व डूँगरपुर जिलों को छोड़कर आप द्वारा जो 5169 समूहों में 6916 दुकानें प्रस्तावित की गयी हैं, उनमें से 327 समूहों में दो से अधिक देशी मदिरा दुकानें है । इन 327 समूहों में से प्रत्येक में से एक – एक दुकान कम करते हुए 6589 दुकानें स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार वर्ष 2006–07 हेतु स्वीकृत 7000 दुकानों के स्थान पर वर्ष 2007–08 हेतु मूल देशी मदिरा दुकानों की संख्या 6660 (बांसवाड़ा व डूँगरपुर जिलों हेतु पूर्व में स्वीकृत 71 दुकानों को शामिल करते हुए) सीमित की जाती है।

(ग) आरक्षित राशि : बांसवाड़ा व डूँगरपुर जिलों को छोड़कर अन्य जिलों हेतु आप द्वारा समस्त 5169 समूहों हेतु प्रस्तावित आरक्षित राशियां, जिनका योग 587.47 करोड़ रूपये हैं, स्वीकृत की जाती हैं।

(घ) अमानत राशि: देशी मदिरा समूहों हेतु कोई भी आवेदक उसके नाम से स्वीकृति जारी हो जाने के उपरांत दुकान संचालन से पूर्व ही बेक आउट हो जाता है तो ऐसे आवेदक द्वारा जमा करवायी गयी अमानत राशि जप्त कर ली जायेगी। स्पष्ट किया जाता है कि

21.2.07

यदि बाद में ऐसी दुकान का बंदोबस्त किसी कारण से कम राशि पर होता है तो अंतर की राशि बाबत् मांग उस आवेदक के विरूद्ध सृजित नहीं की जायेगी।

(च) देशी मदिरा की आपूर्ति : राज्य में स्थित डिस्टलरीज को देशी मदिरा का निर्माण करने की अनुमति होगी परंतु उन्हें अपने द्वारा उत्पादित देशी मदिरा का विक्रय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से एवं उनके द्वारा संचालित डिपों पर ही करना होगा। प्राईवेट डिस्टलर्स अपने द्वारा उत्पादित देशी मदिरा हेतु विक्रय मूल्य प्रस्तावित करेंगे, उसमें राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स 20 प्रतिशत मार्जिन / हेण्डलिंग चार्ज वसूल कर अनुज्ञाधारियों को इसका विक्रय करेगी। समस्त डिस्टलरीज समस्त जिलों में मांग अनुसार देशी मदिरा की आपूर्ति कर सकेगी। देशी मदिरा की 40 प्रतिशत आपूर्ति पूर्व की तरह राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स हेतु आरक्षित रहेगी।

(छ) न्यूनतम खुदरा विक्रय मूल्यः वर्ष 2006–07 की भांति देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य का निर्धारण नहीं किया जायेगा परंतु न्यूनतम विक्रय मूल्य की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। देशी मदिरा की 60 यूपी किस्म हेतु बोतल, अद्धे व पव्वे के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य क्रमशः : रू. 75, 38 व 18 होगा। 40 यूपी मदिरा का न्यूनतम विक्रय मूल्य वर्ष 2006–07 के अनुसार ही रहेगा।

<u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर</u>

(ज) दुकानों की संख्या : आप द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में नगरपालिका/जोनवार विवरण के अनुसार, दुकानों की संख्या 1800 निर्धारित की जाती है।

(झ) लाईसेंस फीसः भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर रिटेल ऑफ दुकानों की वार्षिक लाईसेंस फीस की राशि में निम्न अनुसार वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है:

(राशि लाख रू. में)

श्रेणी	वर्ष 2006–07 में लाईसेंस फीस	वर्ष 2007–08 हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस
जयपुर / जोधपुर	3.00	3.60
अन्य संभागीय मुख्यालय	2.50	3.00
अन्य जिला मुख्यालय	2.00	2.40
अन्य नगरपालिकाएं	1.50	1.80

इसी प्रकार हेरिटेज बी व सी श्रेणी की होटलों हेतु बार अनुज्ञाशुल्क की राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके फलस्वरूप इन श्रेणी की होटलों का वर्ष 2007–08 हेतु अनुज्ञाशुल्क क्रमशः : रू. 1.20 लाख एवं 0.60 लाख होगा।

(ट) बंदोबस्त प्रक्रियाः वर्ष 2006–07 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर रिटेल ऑफ दुकान का संचालन कर रहे अनुज्ञाधारियों को उक्त अनुसार बढी हुई लाईसेंस फीस पर अपने अनुज्ञापत्र का वर्ष 2007–08 हेतु नवीनीकरण कराने का विकल्प प्रदान किया जाये।

यदि किसी नगरपालिका/जोन के लिये वर्ष 2007–08 की निर्धारित दुकानों की संख्या के बराबर अथवा उससे कम अनुज्ञाधारी आवेदन करते है, तो समस्त आवेदकों के अनुज्ञापत्र नवीनीकृत किये जायेंगे।

यदि किसी नगरपालिका/जोन के लिये वर्ष 2007–08 की निर्धारित दुकानों की संख्या से कम अनुज्ञाधारी आवेदन करते है, तो शेष दुकानों की पहचान कर 2006–07 हेतु निर्धारित बंदोबस्त प्रक्रिया द्वारा इन दुकानों का बंदोबस्त किया जायेगा।

किसी नगरपालिका अथवा उसके जोन के लिये वर्ष 2007–08 की निर्धारित दुकानों की संख्या से अधिक दुकानों हेतु नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर सफल अनुज्ञाधारी का

चयन लॉटरी पद्वति से सपूर्व में निर्धारित समय व दिनांक को राज्य सरकार द्वारा इस हेतु पूर्व में गठित समिति द्वारा किया जायेगा ।

(ठ) सैन्य कर्मियों को दी जाने वाली मदिरा पर वसूल किये जाने वाले सरचार्ज की दर घटाकर भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए रू. 10 प्रति बल्क लीटर एव बीयर पर रू. 2 प्रति बल्क लीटर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भांग – डोडा पोस्त

(ड) भांग – डोडा पोस्त के वर्ष 2006–07 के अनुज्ञाधारियों को उनकी वर्तमान प्राप्त राशि पर ही वर्ष 2007–08 हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का विकल्प इस स्पष्ट उल्लेख के साथ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है कि डोडा पोस्त अनुज्ञाधारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से वैट भी अदा करना होगा। यदि इसके उपरांत भांग – डोडा पोस्त का कोई समूह पडत रहता है तो उसका वर्ष 2006–07 में अपनाई गई प्रक्रिया अनुसार बंदोबस्त करवाया जायेगा।

3. शुष्क दिवस एवं मद्य संयम :

- वर्ष 2007–08 में शुष्क दिवसों की संख्या 4 (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महावीर जयंती व महात्मा गांधी जयंती) रहेगी।
- मादक पदार्थों की बुराईयों की ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाये।
- मदिरा बेचान स्थलों के खुलने व बंद होने के समय की कठोरता से पालना करवाई जाये।
- मदिरा व अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मदिरा को प्रतिबंधित करने संबंधी प्रावधान की पालना सख्ती से करवाई जाये।
- मदिरा के हर पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी "मदिरा सेवन स्वास्थ के लिए हानिकारक है" का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

इन निर्देशों को लागू करने के लिए कानून / नियमों / आदेशों आदि में जो संशोधन किया जाना अपेक्षित हो उनके लिए अधिसूचनाओं / आदेशों के प्रारूप शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

आगामी आबकारी बंदोबस्त यथासंभव दिनांक 20 मार्च 2007 तक पूर्ण करा सूचना राज्य सरकार को प्रेषित करने का श्रम करें।

भवदीय,

2/2/07

(संजय मल्होत्रा)
विशिष्ठ शासन सचिव,
वित्त (राजस्व) विभाग

15

(58)

Government of Rajasthan
Finance (Excise) Department

No. F4(1)FD/Excise/2007 Jaipur, Dated : 27.2.2007

The Excise Commissioner,
Govt. of Rajasthan,
UDAIPUR.

Kindly refer to your letter of 24th February, 2006 seeking certain clarifications regarding Excise Settlement Policy 2007-08. The following clarification is hereby issued :-

1. The total number of 1800 exclusive IMFL/Beer shops allocated for 2007-08 do not include the 11 shops of Bhiwadi.

2. There is no change in licence fees for hotel bars other than B&C category Heritage Hotel Bars.

3. There is no change for licence fees of restaurant bars for 2007-08.

4. Thus, the licence fees for other hotel bars and restaurant bars for 2007-08 will remain the same as this year.

Yours sincerely,

(Sanjay Malhotra)
Special Secretary Finance

(53)

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक : प.4( )वित्त/आब/2008 दिनांक : 21.1.2008

आयुक्त,
आबकारी विभाग
राजस्थान, उदयपुर

विषय : आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2008--09 के संबंध में।

महोदय

निर्देशानुसार लेख है कि आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2008--09 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये है :--

1. अवधि : आगामी आबकारी बंदोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 तक) होगी।
2. बंदोबस्त प्रणाली : देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर के वर्तमान रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियो को वर्ष 2008--09 के लिए अनुज्ञापत्र नवीनीनकरण करा सकने का विकल्प इस पत्र में आगे अंकित शर्तों पर प्रदान किया जायेगा। नवीनीकरण से शेष रहने वाली दुकानों का वर्ष 2007--08 के अनुरूप आवेदन आमंत्रित कर तथा एकाधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लॉटरी निकालकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।
3. देशी मदिरा दुकानें
   - 3.1 देशी मदिरा दुकानों / दुकान समूहों की वर्ष 2008--09 हेतु एकाकी विशेषाधिकार राशि उस दुकान / दुकान समूह की वर्ष 2007--08 की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में 8 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित की जायेगी।
   - 3.2 राज्य के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स की ओर से देशी मदिरा दुकानो का संचालन कर रहे फैंचाईजीज को भी इसी शर्त पर नवीनीकरण का विकल्प प्रदान किया जाये।

3.3 नवीनीकरण आवेदन शुल्क : समूह की वर्ष 2008-09 हेतु राशि रू. 10.00 लाख होने तक रू. 1500/- एवं इससे अधिक राशि के समूह होने पर रू. 3000/- नवीनीकरण आवेदन शुल्क के रूप में देय होगें।

4 भारत निर्मित विदेशी मदिरा – बीयर मिनी शॉप

4.1 विभिन्न श्रेणी की दुकानों के लिए वर्ष 2008-09 की लाइसेंस फीस में निम्न अनुसार वृद्धि की जाती है :-

(राशि लाख रू. में)

क.सं.	श्रेणी	वर्ष 2007-08 में लाईसेंस फीस	वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस
1.	जयपुर / जोधपुर	3.60	3.80
2.	अन्य संभागीय मुख्यालय	3.00	3.15
3.	अन्य जिला मुख्यालय	2.40	2.50
4.	अन्य नगरपालिकाएं	1.80	1.85

4.2 नवीनीकरण आवेदन शुल्क के रूप में वर्ष 2008-09 के लिए उक्तानुसार निर्धारित होने वाली लाईसेंस फीस की एक प्रतिशत राशि देय होगी।

5. भांग एवं डोडा पोस्त दुकानों के बंदोबस्त के संदर्भ मे राज्य सरकार के निर्णय आपको पृथक से सूचित किये जायेगें।

6. **शुष्क दिवस एवं मद्य संयम :**

1. वर्ष 2007-08 की भांति वर्ष 2008-09 में शुष्क दिवसों की संख्या 4 (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महावीर जयंती एवं महात्मा गांधी जयंती) रहेगी।
2. मादक पदार्थों की बुराईयों की ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाये।
3. मदिरा बेचान स्थलों के खुलने एवं बंद होने की समय की कठोरता से पालना करवायी जाये।
4. मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।
5. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मदिरा का प्रतिबंधित करने संबंधी प्रावधान की पालना सख्ती से करवायी जाये।
6. मदिरा के हर पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" का उल्लेख किया जावे।

7. आबकारी बंदोबस्त के संबंध में शेष प्रावधान / प्रक्रिया / व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप रहेगी।

इन निर्देशों को लागू करने के लिए कानून / नियमों / आदेशों आदि में जो संशोधन किया जाना अपेक्षित हो उनके लिए अधिसूचनाओं / आदेशों के प्रारूप शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

आगामी आबकारी बंदोबस्त यथासंभव दिनांक 20 मार्च 2008 तक पूर्ण कर सूचना राज्य सरकार को प्रेषित करने का श्रम करें।

भवदीय,

(रजत कुमार मिश्र)
विशिष्ट शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक : प.12(41)वित्त/कर/06 दिनांक : 18.02.2008

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

विषय :- भांग - डोडा पोस्त दुकानों का वर्ष 2008-09 हेतु बन्दोबस्त ।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि-

1. वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य की भांग एवं डोडापोस्त दुकानों की लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) के माध्यम से 96.46 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित होने का अनुमान है।

2. वर्ष 2008-09 डोडापोस्त उत्पादक क्षेत्र में अफीम उत्पादकों से थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा किये जाने वाले क्रय हेतु न्यूनतम क्रय मूल्य 50/- रु0 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाता है।

3. वर्ष 2008-09 के लिये भांग-डोडा पोस्त दुकानों के बन्दोबस्त के संदर्भ में राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिये है :-

3.1 भांग दुकानों का बन्दोबस्त

(i) **समूहों का गठनः** आप द्वारा प्रस्तावित 29 समूहों का अनुमोदन किया जाता है।
(ii) **लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि)** : भांग दुकानों की वर्ष 2007-08 की प्राप्त राशि (रू.16.46 करोड) ही वर्ष 2008-09 की लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) होगी ।
(iii) **प्रक्रिया** : भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदाऐं आमंत्रित कर करवाया जाये ।

3.2 डोडा पोस्त दुकानों का बन्दोबस्त

3.2.1 समूहों का गठन

(i) डोडा पोस्त उत्पादन क्षेत्र में ऐसी तहसीलों में जहां तीन या उससे अधिक गॉवों में अफीम काश्त की अनुमति दी गई है, प्रति तहसील एक थोक अनुज्ञापत्र निर्धारित किया जाता है । वर्तमान में डोडा पोस्त उत्पादन क्षेत्र में 23 थोक अनुज्ञापत्र है तथा आप द्वारा उपलब्ध करवाये गये विवरण अनुसार इनकी संख्या 26 हो जायेगी ।
(ii) डोडा पोस्त खपत के क्षेत्रों में स्थित 58 थोक दुकानों का पृथक-पृथक बन्दोबस्त करवाया जाये ।
(iii) डोडा पोस्त की वर्तमान में 264 (अतिरिक्त 12 दुकानों सहित) दुकानें संचालित हो रही है । इनका भी पृथक- पृथक बन्दोबस्त करवाया जाये ।

3.2.2 लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि)

(i) डोडा पोस्त उत्पादन क्षेत्र के 26 समूहों की कुल लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) रू0 15.06 करोड़ होगी । समूहों के मध्य इसका विभाजन अफीम काश्तकारों की संख्या के अनुपात में कर दिया जाये ।

(51)

(ii) डोडा पोस्त खपत के क्षेत्र के 58 थोक अनुज्ञापत्र हेतु कुल लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) रू0 6.41 करोड़ निर्धारित की जाती है । विभिन्न जिलो में स्थित थोक अनुज्ञापत्रों की जिलेवार लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) डोडा पोस्त व्यसनियों के निर्धारित कोटे के अनुपात में होगी । एक जिले में एक से अधिक थोक अनुज्ञापत्र होने पर उनके मध्य लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) बराबर रूप से विभाजित करदी जाये ।

(iii) डोडा पोस्त की 264 खुदरा दुकानों की कुल लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) रू0 58.53 करोड़ निर्धारित की जाती है । दुकानों के मध्य आरक्षित राशि डोडा पोस्त व्यसनियों के निर्धारित कोटे के अनुपात में विभाजित कर दी जाये ।

3.2.3 बन्दोबस्त प्रकिया : डोडा पोस्त की समस्त दुकानों हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) पर आवेदन आमंत्रित किये जावें । किसी दुकान हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रकिया से किया जायेगा ।

4. अन्य बिन्दु :

4.1 डोडा पोस्त का अधिकतम विक्रय मूल्य निम्न प्रकार होगा–

डोडापोस्त उत्पादन क्षैत्र के थोक अनुज्ञाधारियों के लिये	:	रु0 187/– प्रति कि.ग्रा. (आबकारी शुल्क एवं समस्त कर रहित)
डोडापोस्त के खपत क्षैत्र के थोक अनुज्ञाधारियों के लिये	:	रु0 226/– प्रति कि.ग्रा. (आबकारी शुल्क एवं समस्त कर रहित)
डोडापोस्त के खुदरा अनुज्ञाधारियों के लिये	:	रु0 621/– प्रति कि.ग्रा. (आबकारी शुल्क एवं समस्त कर सहित)

4.2 वर्ष 2008–09 के दौरान भांग पर वेट देय होगा एवं वेट की दर 12.5 प्रतिशत होगी।

4.3 डोडा पोस्त पर वेट की दर यथावत 12.5 प्रतिशत रहेगी।

4.4 भांग एवं डोडा पोस्त दुकानों के लिए आवेदन शुल्क लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) का एक प्रतिशत निर्धारित किया जाता है ।

4.5 भांग व डोडापोस्त दुकानों हेतु अर्नेस्टमनी लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) की 10 प्रतिशत होगी।

4.6 बन्दोबस्त प्रकिया के संबंध में शेष प्रावधान पूर्व बन्दोबस्त के अनुरूप रहेगें ।

5. **प्रशमन योजनाः**

5.1 वर्ष 2008–09 हेतु भांग एवं डोडा पोस्त हेतु वेट की प्रशमन योजना (composition scheme) भी जारी की जायेगी । इस योजना का विकल्प लेने वाले अनुज्ञाधारियों को उनकी वार्षिक लाईसेन्स फीस की 125 प्रतिशत राशि की 12.5 प्रतिशत राशि अदा करनी होगी ।

भवदीय,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव,
वित्त (राजस्व) विभाग

(58)

गोपनीय

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

कमांक–प.4(1)वित्त / आब. / 2008

दिनांक: 18.03.2008

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर।

विषयः– *आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2008-09 ।*

संदर्भः– *आपका पत्र क्रमांकः प.32(बी)(1)आब / एल / 08 / 32 दिनांक 5.3.08 ।*

महोदय,

विषयांतर्गत आपके प्रस्ताव दिनांक 5.3.2008 में उल्लेखित देशी मदिरा, भांग व डोडा पोस्त की पड़त रही दुकानों के बंदोबस्त हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने का निवेदन है:–

1. **देशी मदिरा**– पडत समूहों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जावें तथा किसी समूह के लिये 80 प्रतिशत से अधिक राशि के प्रस्ताव देने वालों में से सर्वाधिक राशि का प्रस्ताव ही स्वीकार किया जावे।

2. **भांग**– पड़त भांग समूहों की मूलरूप से निर्धारित आरक्षित राशि की 80 प्रतिशत राशि पर निविदाएं आमंत्रित की जावें।

3. **डोडा पोस्त**– पड़त डोडा पोस्त दुकानों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जावें तथा किसी समूह के लिये 80 प्रतिशत से अधिक राशि के प्रस्तावों में से सर्वाधिक राशि का प्रस्ताव ही स्वीकार किया जावे।

उपरोक्त कार्यवाही शीघ्र कर बंदोबस्त की नवीनतम स्थिति से शीघ्र अवगत करावें।

भवदीय,

(रजत कुमार मिश्रा)
शासन सचिव, वित्त

lot-ec-29-03-08

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

कमांक प.4(1)वित्त/आब./08

जयपुर, दिनांक 28.03.2008

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

विषयः आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2008--09

प्रसंगः आपका पत्र कमांक प. 32 (बी) (1)आब/एल/08/41 दिनांक 26.03.08

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के कम में निर्देशानुसार निवेदन है कि पड़त देशी मदिरा, भांग व डोडा पोस्त दुकानों के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही करने का श्रम करें:-

1. देशी मदिराः

(अ) ऐसी देशी मदिरा दूकानें/ समूह जिनके लिए बंदोबस्त के प्रथम चरण अथवा द्वितीय चरण में कोई आवेदन / प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ उनके लिए मूल आरक्षित राशि की 65 प्रतिशत राशि पर प्रस्ताव आमंत्रित कर लिये जाये तथा इन प्रस्तावों में से सर्वाधिक राशि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये। निर्धारित समय सीमा में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर "प्रथम आवे प्रथम पावे" (first come first served) के आधार पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाये बशर्ते कि वह मूल आरक्षित राशि के 65 प्रतिशत से कम न हो।

(ब) बन्दोबस्त के प्रथम दो चरणों में जिन दुकानों/समूहों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो गये थे परन्तु बादमें आवेदक/प्रस्तावक बेकआउट हो गये थे उन हेतु प्रस्ताव मूल रूप से निर्धारित आरक्षित राशि के 80 प्रतिशत पर ही आमंत्रित किये जायें।

(स) इसके पश्चात् आरक्षित राशि में कोई कमी नहीं की जायेगी तथा जो दुकानें मूल आरक्षित राशि की 65 प्रतिशत राशि पर भी नहीं उठती हैं उनका संचालन राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से करवाने की व्यवस्था की जाये।

(द) शहरी क्षेत्र के पड़त देशी मदिरा समूह में निशुल्क कम्पोजिट सुविधा की शर्त स्वीकार्य नहीं है, अतः जयपुर नगर के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों पर तदनुसार निर्णय लिया जाये।

2. भांगः

पड़त भांग समूहों हेतु उनकी मूल आरक्षित राशि की 50 प्रतिशत राशि पर निविदा आमंत्रित की जाये।

3. डोडा पोस्तः

ऐसी डोडा पोस्त दुकानें जिनके लिए बंदोबस्त के प्रथम चरण अथवा द्वितीय चरण में कोई आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ उनके लिए मूल आरक्षित राशि की 65 प्रतिशत राशि पर प्रस्ताव आमंत्रित कर लिये जाये तथा इन प्रस्तावों मे से सर्वाधिक राशि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये। निर्धारित समय सीमा में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर "प्रथम आवे प्रथम पावे" (First come fist served) के आधार पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाये बशर्तें कि वह मूल आरक्षित राशि के 65 प्रतिशत से कम न हो।

भवदीय,

(एस.एस. राजावत)
उप शासन सचिव

D:\work word\hk\lot-ec-29-03-08.doc

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4 (7)वित्त/आब./05 जयपुर, दिनांक 10 अक्टूबर, 08

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

विषयः देशी मदिरा का उत्पादन

महोदय,

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान राज्य गंगानगर शूगर मिल्स को राज्य के उत्पादकों से देशी मदिरा उत्पादन हेतु पर्याप्त मात्रा में अनाज आधारित प्रासव उपलब्ध न होने की स्थिति में **देशी मदिरा की कुल** मांग की 33 % - **50% तक की पूर्ति हेतु मोलासस आधारित आयातित शोधित प्रासव** के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

उपयोग में लाया जाने वाला शोधित प्रासव मदिरा निर्माण से सम्बन्धित मापदण्डों के अनुरूप होना चाहिये।

भवदीय,

(एस.एस. राजावत)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आबकारी अनुभाग)

क्रमांक : प.4(1)वित्त/आब/09 दिनांक : 28.01.2009

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

विषय : आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2009–10 के संबंध में।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2009–10 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

1. **अवधि** : आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 तक) होगी।
2. **बन्दोबस्त की प्रणाली** : देशी मदिरा के ठेके एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के ठेके निश्चित लाईसेंस फीस पर वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप ही दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. **देशी मदिरा** :
   - 3.1 **दुकानों की संख्या** : वर्ष 2008–09 हेतु राज्य में देशी मदिरा दुकानों की संख्या 6660 निर्धारित की गई थी जो वर्ष 2009–10 हेतु यथावत रहेगी।
   - 3.2 **समूहों का गठन** : मौटे तौर पर देशी मदिरा दुकानों के वर्तमान समूहों को यथावत रखा जाये । यदि कुछ मामलों में परिवर्तन आवश्यक महसूस होता है तो वित्त विभाग की अनुमति से ऐसा किया जा सकेगा।
   - 3.3 **बन्दोबस्त प्रक्रिया** : निश्चित एकाकी विशेषाधिकार राशि (आरक्षित राशि) पर नये सिरे से आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त करवाया जाये । जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे उन हेतु

पूर्व व्यवस्था अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लॉटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।

3.4 **आरक्षित राशि** : वर्ष 2008–09 में संचालित हो रही दुकानों के गत बन्दोबस्त (वित्तीय वर्ष 2006–07 अथवा 2007–08 के दौरान करवाये गये बन्दोबस्त, जैसी भी स्थिति हो) में प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर वर्ष 2008–09 की प्राप्त राशि में निम्नानुसार वृद्धि कर वर्ष 2009–10 के लिए आरक्षित राशि निर्धारित की जाये:–

प्राप्त आवेदनों की संख्या	वृद्धि का प्रतिशत
25 तक	5.00
26–50	7.50
51 या अधिक	10.00

3.5 **आवेदन शुल्क** : देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

श्रेणी	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1. 10 लाख तक की आरक्षित राशि वाले समूह	1500/–	2500/–
2. 10 लाख से अधिक आरक्षित वाले समूह	3000/–	5000/–

3.6 **देशी मदिरा निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रासव** : राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के लिए आगामी वर्ष में देशी मदिरा निर्माण हेतु मोलासिस आधारित प्रासव की मात्रा 40 प्रतिशत एवं अनाज आधारित प्रासव की मात्रा 60 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा आयात किये जाने वाले मोलासिस आधारित प्रासव पर आयात शुल्क की दर रूपये 3.00 प्रति बल्क लीटर होगी।

3.7 **पेट / ग्लास बोतल** : देशी मदिरा प्रदायगी में पेट / ग्लास बोतल का अनुपात 50:50 रखा जाये।

3.8 **होलोग्राम** : राज्य में बेची जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था वर्ष 2005–06 में लागू की

गई थी । वर्ष 2009–10 में इसे देशी मदिरा बोतलों पर भी लगाये जाने की कार्यवाही की जाये।

3.9 **पीपी सील का निर्माण** : फर्जी पीपी सील का उपयोग कर अवैध रूप से देशी मदिरा के निर्माण व उसके विक्रय की रोकथाम हेतु राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा स्वयं अपनी पीपी सील तैयार करने हेतु संयंत्र लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3.10 **देशी मदिरा का निर्गम मूल्य** : चालू वर्ष में देशी मदिरा की निर्माण सामग्री, विशेषकर प्रासव, के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान में 40 यूपी देशी मदिरा के पव्वों के एक कार्टन का विक्रय मूल्य रू. 295/– निर्धारित है जिसे बढाकर रू. 320/– किये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्य किस्म की देशी मदिरा तथा बोतलों व अद्धों के कार्टन हेतु भी निर्गम मूल्य में इसी अनुरूप वृद्धि की जाये।

3.11 **देशी मदिरा का नया उत्पाद** : सुरक्षित एवं कम लागत की देशी मदिरा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा 50 यूपी तेजी सहित एक नया उत्पाद जारी किया जायेगा।

3.12 **डूंगरपुर – बांसवाडा जिलों में देशी मदिरा का विक्रय** : इन जिलों में देशी मदिरा विक्रय की व्यवस्था मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी।

3.13 **देशी मदिरा का निर्माण** : वर्ष 2009–10 में देशी मदिरा आपूर्ति में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम हिस्सा 50 प्रतिशत रहेगा । प्राईवेट डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लाण्ट क्रमशः 40 प्रतिशत व 10 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति करेंगे। मदिरा आपूर्ति के लिए 75 लाख से अधिक निवेश तथा अच्छी तकनीकी वाले बोटलिंग प्लाण्ट ही पात्र होंगे।

4. **भारत निर्मित विदेशी मदिरा :**

4.1 **बन्दोबस्त प्रकिया** : वर्ष 2009–10 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर रिटेल ऑफ दुकानों हेतु नये सिरे से आवेदन आमंत्रण कर बन्दोबस्त करवाया जाये । एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर देशी मदिरा के लिये प्रस्तावित व्यवस्था के अनुरूप लॉटरी प्रकिया द्वारा सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।

4.2 **दुकानों की संख्या** : नगरीय क्षेत्रों के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर रिटेल ऑफ दुकानों की संख्या 1800 से घटाकर 1000 करने का निर्णय लिया गया है। आपके द्वारा इस विभाग के परामर्श से तथा आगामी पैरा में किये गये उल्लेख के अनुरूप

प्रत्येक शहर के लिये निर्धारित दुकानों की संख्या को संशोधित किया जाये।

4.3 **लाईसेंस फीस** : भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों की विभिन्न श्रेणियों हेतु दुकानों की संख्या व वार्षिक लाईसेंस फीस निम्न अनुसार निर्धारित की गयी है :–

(राशि लाख रू. में)

क. सं.	श्रेणी	दुकानों की वर्तमान संख्या	वर्ष 2009–10 हेतु दुकानों की संख्या	वर्तमान लाईसेंस फीस	वर्ष 2009–10 हेतु लाईसेंस फीस
1.	जयपुर व जोधपुर शहर	453	250	3.80	7.50
2.	अन्य संभागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	293	160	3.15	6.00
3.	अन्य जिला मुख्यालय	397	240	2.50	4.00
4.	अन्य नगरपालिकाएं	657	350	1.85	3.25

4.4 **विदेशी मदिरा पर वेट आरोपण** : विदेशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर 20 प्रतिशत वेट लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4.5 **रिटेल ऑन अनुज्ञापत्रों की लाईसेंस फीस** : विभिन्न श्रेणी की होटलों, रेस्टोरेण्ट्स व क्लबों के बार लाईसेंस हेतु लाईसेंस फीस में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(राशि लाख रू. में)

क.सं.	श्रेणी	वर्तमान लाईसेंस फीस	वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस
1.	पांच सितारा होटल	5.00	15.00
2.	चार सितारा होटल	4.00	10.00
3.	तीन सितारा होटल	4.00	8.00
4.	लग्जरी ट्रेन	4.00	8.00
5.	हेरिटेज ए श्रेणी	5.00	8.00

6.	हेरिटेज बी श्रेणी	1.20	2.00
7.	हेरिटेज सी श्रेणी	0.60	1.00
8.	जयपुर एवं जोधपुर शहर	3.00	6.00
9.	अन्य संभागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू एवं जैसलमेर	2.50	5.00
10.	अन्य जिला मुख्यालय	2.00	4.00
11.	अन्य नगरपालिकाएं	1.50	2.50
12.	अन्य स्थान	0.75	1.50
13.	रेस्टोरेण्ट – जयपुर, जोधपुर	2.00	4.00
14.	रेस्टोरेण्ट – अन्य संभागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	1.67	3.25
15.	रेस्टोरेण्ट – अन्य जिला मुख्यालय	1.34	2.50
16.	रेस्टोरेण्ट – अन्य नगरपालिका व भिवाडी	1.00	2.00
17.	रेस्टोरेण्ट – अन्य स्थान	0.50	1.00
18.	क्लब – जयपुर	0.75	1.50
19.	क्लब – अन्य स्थान	0.50	1.00

4.6 **रेस्टोरेण्ट बार** : रेस्टोरेण्ट बार में स्ट्रांग बीयर बेचने की भी अनुमति होगी।

5. **भांग** : भांग दुकानों के 29 समूह यथावत रखे जाकर इनकी वर्ष 2008–09 की प्राप्त राशि को ही वर्ष 2009–10 की आरक्षित राशि निर्धारित की जाती है। जिस समूह का वर्ष 2008–09 के दौरान आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि पर भी बन्दोबस्त नहीं हो पाया था उसकी वर्ष 2009–10 हेतु आरक्षित राशि वर्ष 2008–09 की आरक्षित राशि की 7.50 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। भांग दुकानों का बन्दोबस्त गत वर्ष के अनुरूप निविदाएं आमंत्रित कर करवाया जाये।

6. **डोडा पोस्त** : डोडा पोस्त के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(1) अफीम काश्तकारों को डोडा–पोस्त का न्यूनतम विक्रय मूल्य रूपये 100 प्रति किलो देय होगा।

(2) डोडा–पोस्त का अधिकतम खुदरा मूल्य रूपये 500 प्रति किलो होगा।

(3) डोडा–पोस्त व्यसनियों का मासिक कोटा मूल रूप से निर्धारित कोटा अथवा 10 किलोग्राम, जो भी कम हो, रहेगा।

(4) उक्त निर्णयों की पालना हेतु समुचित आरक्षित राशि निर्धारित कर लॉटरी द्वारा बन्दोबस्त कराने की कार्यवाही की जावे।

7. **अन्य कतिपय फीस में संशोधन :**

7.1 विकृत प्रासव के निर्यात पर देय फीस रू. 5.00 प्रति लीटर से घटाकर रू. 2.00 प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

7.2 शोधित प्रासव / ईएनए के आयात पर देय फीस रू. 8.00 प्रति बल्क लीटर से घटाकर रू. 7.00 प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

7.3 अनुज्ञाधारी की मृत्यु पर अनुज्ञापत्र वारिसों के नाम स्थानान्तरित करने के लिए फीस, 10 लाख रूपये तक की लाईसेंस फीस / एकाकी विशेषाधिकार राशि हेतु रू. 5,000/– एवं इससे अधिक के लिए रू. 10,000/– निर्धारित की जाती है।

8. **अन्य बिन्दु :**

8.1 आबकारी मद से प्राप्त राजस्व की एक प्रतिशत राशि गरीबों के लिये मुफ्त ईलाज, दवाई तथा हथकढ शराब बनाने वाले लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए खर्च की जायेगी।

8.2 प्रत्येक पंचायत में सार्वजनिक सूचना पट्ट के द्वारा नशे के कुप्रभाव तथा निरापद उपयोग के संबंध में जनता को आगाह किया जायेगा।

8.3 शराब के नशे के आदी इच्छुक लोगों के लिए नशामुक्ति शिविरों का आयोजन गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से व्यापक स्तर पर किया जायेगा।

8.4 18 वर्ष से कम युवा वर्ग को नशीले पदार्थों की बिक्री न हो, इस दिशा में और अधिक प्रयास किये जाये।

8.5 दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाईसेंस नम्बर व अवधि के अलावा अन्य किसी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

8.6 गैर–सरकारी संस्थान तथा राज्य के कर्मचारियों द्वारा नशा निवारण तथा अवैध शराब की रोकथाम हेतु किये गये सराहनीय कार्य को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

8.7 राज्य में शिथिलता के साथ मदिरा दुकानें संचालित नहीं होंगी।

8.8 मिथाईल एल्कोहल के पोटेबल एल्कोहल से अन्तर को आम आदमी के लिये आसान बनाने के लिये मिथाईल एल्कोहल में रंग व गंध मिलाये जाने का प्रावधान किया जायेगा।

8.9 मदिरा दुकानों पर अवैध मदिरा अथवा अन्य राज्यों की मदिरा पायी जाने पर अभियोग पंजीकरण के साथ–साथ अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण की सशक्त कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाये।

8.10 राज्य सरकार में वित्त विभाग के अन्तर्गत कर अनुसंधान प्रकोष्ठ की तर्ज पर आबकारी अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8.11 आबकारी विभाग की कियाशीलता को और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक नया वाहन तथा आधुनिक संचार प्रणाली मुहैया कराने का भी निर्णय लिया गया है।

8.12 आबकारी विभाग, निरोधक बल तथा पुलिस द्वारा, अवैध शराब के विरूद्ध समन्वित अभियान जारी रहेगा।

8.13 दूसरे राज्यों से राजस्थान होकर गुजरने वाली मदिरा की आवक एवं जावक पर निगरानी बरतने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जायेगा।

9. **शुष्क दिवस एवं मद्य – संयम :**

9.1 वर्तमान में निर्धारित चार शुष्क दिवस – **गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, गांधी जयन्ती व महावीर जयन्ती** – के अलावा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि **30 जनवरी** को भी शुष्क दिवस निर्धारित किया जाता है।

9.2 अनुज्ञा प्राप्त दुकानों के खुलने (प्रातः 10 बजे) व बन्द होने के समय (सायं 8 बजे) की कठोरता से पालना करवायी जाये।

9.3 मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

9.4 मदिरा के हर पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी **'मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'** का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10. आबकारी बन्दोबस्त के संबंध में शेष प्रावधान / प्रकिया / व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप रहेगी।

68

इन निर्देशों को लागू करने के लिये कानून / नियमों / आदेशों में जो संशोधन किया जाना अपेक्षित हो उनके लिए अधिसूचनाओं / आदेशों के प्रारूप शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

आगामी आबकारी बन्दोबस्त यथासंभव दिनांक 20 मार्च, 2009 तक पूर्ण करा सूचना राज्य सरकार को प्रेषित करने का श्रम करें।

भवदीय,

28/1/09

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव,
वित्त (राजस्व) विभाग